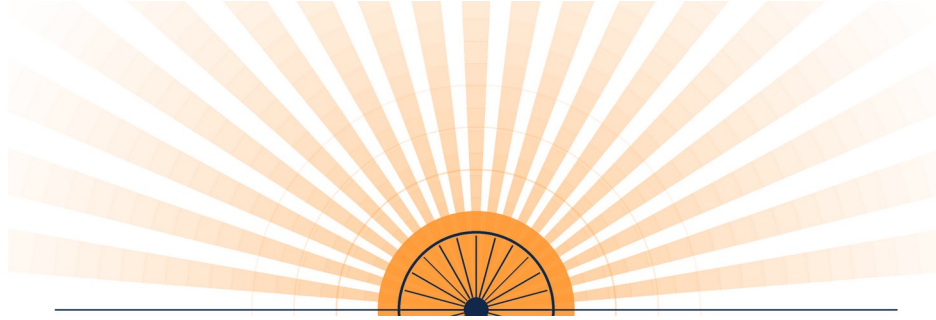




UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartarihari's Shataktraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

“सत्य का एक शब्द पूरे संसार पर भारी पड़ेगा।”

— अलेक्सांद्र सोल्झेनित्सिन, साहित्य का नोबेल व्याख्यान (1970), एक रूसी कहावत उद्धृत करते हुए

द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 6 अक्टूबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हजार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)

UPSC Darpan • 6 अक्टूबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

- 1. सेवा परमो धर्म: — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
- 2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
- 3. Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
- 4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
- 5. Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
- 6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
- 7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्म: — and we shall become.

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

“हिंसा की एकमात्र शरण असत्य है, और असत्य का एकमात्र सहारा हिंसा”

— अलेक्सांद्र सोल्झेनित्सिन • साहित्य का नोबेल व्याख्यान (1970), पाठ nobelprize.org पर

उपयोग करें (Use in): आज की खबरें, फॉर्म 6 की “पहली बार” वाली घोषणा और कावेरी अभियारण में गोलीबारी की जाँच। इसका उपयोग सामान्य अध्ययन-4 के उत्तरों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और आदेश-पालन की नैतिकता पर, तथा साधन और साध्य पर निबंधों में कीजिए: दबाव और लीपापोती एक-दूसरे को पोसते हैं, इसलिए ईमानदार अभिलेख ही बल के दुरुपयोग पर पहला अंकुश है। इसे झूठी घोषणा पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 और लोक सेवकों के सत्य रिपोर्ट करने के कर्तव्य के साथ जोड़िए। संतुलन भी रखिए: हर संस्थागत विफलता झूठ नहीं होती, इसलिए ईमानदार भूल और छिपाव में भेद कीजिए।

“फ़र्जी ‘मुठभेड़’ उन्हीं लोगों द्वारा की गई निर्मम, सुनियोजित हत्या के सिवा कुछ नहीं, जिन पर क़ानून की रक्षा का दायित्व है”

— भारत का सर्वोच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा) • प्रकाश कदम बनाम रामप्रसाद विश्वनाथ गुप्ता (13 मई 2011), अनुच्छेद 25

उपयोग करें (Use in): सामान्य अध्ययन-2 और 4 के उत्तरों में हिरासत और न्यायेतर हत्याओं, पुलिस व वन बलों की जवाबदेही तथा अनुच्छेद 21 के लिए। कर्नाटक सीआईडी की कावेरी अभियारण गोलीबारी की जाँच अभी जाँच है, निष्कर्ष नहीं, इसलिए इस वाक्य को फैसले के रूप में नहीं, बल्कि उस कसौटी के रूप में रखिए जिस पर राज्य को खरा उतरना है। इसे पीयूसीएल बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) के साथ जोड़िए, जिसमें हर पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु की जाँच के दिशानिर्देश दिए गए, और मुठभेड़ में मृत्यु पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों के साथ। कर्मियों के वास्तविक जोखिम से संतुलन रखिए: उन्हें जिस सुरक्षा की ज़रूरत है, वह स्पष्ट नियम और ईमानदार रिपोर्टिंग है।

“लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रकृति के अनुरूप विकसित होना चाहिए, और हमें उन पर कुछ भी थोपने से बचना चाहिए ... भूमि और वनों में जनजातीय अधिकारों का सम्मान होना चाहिए”

— जवाहरलाल नेहरू • वेरियर एल्विन की पुस्तक A Philosophy for NEFA के दूसरे संस्करण की प्रस्तावना, 9 अक्टूबर 1958 (“जनजातीय पंचशील”)

उपयोग करें (Use in): आज सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेट निकोबार मामले पर रोक से इनकार करते हुए संस्कृति को “संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार” कहा। इसका उपयोग सामान्य अध्ययन-1 और 2 के उत्तरों में जनजातीय विकास, पाँचवीं और छठी अनुसूची, पेसा और वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर, तथा विकास और पहचान पर निबंधों में कीजिए। उसी प्रस्तावना का पाँचवाँ सिद्धांत, कि परिणामों को “ऑकड़ों या खर्च हुए धन से नहीं, बल्कि विकसित हुए मानवीय चरित्र की गुणवत्ता से” आँकना चाहिए, एक सुंदर समापन-पंक्ति है। संतुलन भी रखिए: सामरिक और आर्थिक ज़रूरतें वास्तविक हैं, इसलिए संग्रहालय नहीं, सहमति और सुरक्षा-उपायों की वकालत कीजिए।

अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड • पढ़ने का समय: लगभग 2 घंटे 10 मिनट

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)
- यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

- 1.1 सर्वोच्च न्यायालय ने CEC को निलंबित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया, संशोधित फॉर्म 6 को अपनी मंजूरी से इनकार किया
- 1.2 बिहार ने राज्य में ब्याही महिलाओं से जाति प्रमाणित करने के लिए उनके मायके का पता माँगा

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

- 2.1 भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता 'पटार' पर पहुँची, शुल्क 'हथियार' बने; दिसंबर में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता
- 2.2 खनन कर पर अंकुश से खनिज-संपन्न राज्य निर्भरता और राजनीति की रेखाओं पर बँटे
- 2.3 केंद्र ने VB-G RAM G के तहत 266 से बढ़ाकर 375 स्वीकार्य कार्य अधिसूचित किए

3. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 3.1 TEPA का एक वर्ष पूरा होने पर भारत और स्विट्ज़रलैंड ने गतिशीलता तथा युवा पेशेवरों से जुड़े समझौते किए
- 3.2 WTO ने भारत से कहा कि उसके महानिदेशक 66 सदस्यीय ई-कॉमर्स समझौते के निक्षेपागार बन सकते हैं
- 3.3 पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने मक्का रक्षा समझौते के तहत सेनाएँ तैनात करने की ओर कदम बढ़ाए

4. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

- 4.1 सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेट निकोबार मामले में रोक से इनकार किया: संस्कृति "संवैधानिक रूप से संरक्षित मूल अधिकार" है
- 4.2 कूनों में पाँच शावकों से बोत्सवाना वंशावली की शुरुआत; भारत में चीतों की संख्या 60 हुई

5. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

- 5.1 न्यायालयों द्वारा सीडीएससीओ (CDSCO) निरीक्षकों की शक्तियाँ सीमित किए जाने के बाद केंद्र सभी निर्जर्म (स्टेराइल) दवाओं के केंद्रीय लाइसेंस पर विचार कर रहा है

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

- 6.1 चिकित्सा नोबेल 2026 ऑप्टोजेनेटिक्स को: चुने हुए तंत्रिका-कोशिकाओं के लिए प्रकाश का स्विच

7. समाज (Society)

- 7.1 पहले राष्ट्रीय परिवार यात्रा सर्वेक्षण के अनुसार 43% कामगार दो पहिया वाहन से चलते हैं, और बसें महिलाओं को ढोती हैं

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

- 9.1 प्रकरण 1 — पुलिस के पहुँचने से पहले हटा दिए गए तीन शव: वन अधिकारी से अपने कर्मचारियों के साथ खड़े रहने की अपेक्षा
- 9.2 प्रकरण 2 — "मैं पहली बार आवेदन कर रहा हूँ": झूठी घोषणा के सहारे मतदाताओं को बहाल करने का आदेश पाने वाला अधिकारी

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

- 10 14 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

- 11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 2.2
- 11.2 GS1 कोना — Geography: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह: डूबी हुई पर्वत-शृंखला की चोटियाँ
- 11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें (4)
- 11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): साध्य और साधन पर गांधी (Gandhi on means and ends)
- 11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

- 12.1 कोई समाज किस चीज़ की प्रतीक्षा करने को तैयार है, इसी से पता चलता है कि वह वास्तव में किसे मूल्यवान मानता है।

यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

पूरी पत्रिका लगभग दो घंटे की है। समय कम हो तो पहले ये पाँच कार्ड पढ़ें।

1.1	सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को निलंबित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया क्यों ज़रूरी: GS2 संवैधानिक निकाय: प्रारंभिक परीक्षा के लिए अनुच्छेद 324 और 2023 के अधिनियम की धारा 16; मुख्य परीक्षा के लिए आयोग में सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया।
2.1	भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता “ठहराव” पर; EU के साथ FTA दिसंबर तक अपेक्षित क्यों ज़रूरी: GS2/GS3 व्यापार: प्रारंभिक परीक्षा के लिए GATT के अनुच्छेद 1 और XXIV तथा धारा 301; मुख्य परीक्षा के लिए अमेरिका और EU के साथ वार्ताओं में संतुलन।
3.3	पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये मक्का समझौते के तहत सेनाएँ तैनात करने की ओर क्यों ज़रूरी: GS2 पश्चिम एशिया: प्रारंभिक परीक्षा के लिए अनुच्छेद 51 और सामूहिक रक्षा; मुख्य परीक्षा के लिए पाकिस्तान को शामिल करने वाला खाड़ी गठबंधन।
4.1	सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेट निकोबार मामले पर रोक लगाने से इनकार किया क्यों ज़रूरी: GS3 पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) और GS2 जनजातीय अधिकार: प्रारंभिक परीक्षा के लिए अनुच्छेद 29(1), PVTG और वन अधिकार अधिनियम; मुख्य परीक्षा के लिए रणनीति बनाम अधिकार।
5.1	केंद्र सभी स्टेराइल दवाओं के केंद्रीय लाइसेंस पर विचार कर रहा है क्यों ज़रूरी: GS2 स्वास्थ्य शासन: प्रारंभिक परीक्षा के लिए समवर्ती सूची की प्रविष्टि 19, DTAB और DCC; मुख्य परीक्षा के लिए दवा नियमन में केंद्र-राज्य संबंध।

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है: क्या हुआ (समाचार / The News), यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (स्थैतिक संबंध / Static Linkage), परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (ट्रेंड / Trend), वे तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं (प्रारंभिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets), एक बिंदुवार विश्लेषण (Analysis), परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) के साथ, और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को वास्तव में करना पड़ेगा। हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिनका अपना शीर्षक है, ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके। जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ती है, वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु हर कड़ी को समझाएं।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

दोनों खबरें एक ऐसे प्रक्रियागत नियम पर टिकी हैं जो चुपचाप अधिकारों का प्रश्न तय कर देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पृच्छना शुरू किया है कि निर्वाचन आयोग निर्णय एक निकाय के रूप में लेता है या किसी एक व्यक्ति के रूप में, और क्या कोई पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) अदालतों की पहुँच से बाहर होना चाहिए। उधर बिहार ने तय किया है कि किसी महिला का आरक्षण-दावा उसके अपने जीवन के पते से नहीं, बल्कि उसके पिता के पते से जुड़ा रहेगा।

1.1 सर्वोच्च न्यायालय ने CEC को निलंबित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया, संशोधित फ़ॉर्म 6 को अपनी मंजूरी से इनकार किया

मुद्दा निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और नियुक्तियाँ (कडी 6) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही • स्वतंत्रता और व्यवस्था

अब तक की कहानी आयुक्त संधू और जोशी ने 10 महीनों में 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज की कि निर्णय उन्हें शामिल किए बिना लिए गए; सर्वोच्च न्यायालय 2023 के नियुक्ति कानून को बड़ी पीठ को भेजने के प्रश्न पर बंटा रहा, और विपक्ष ने पद से हटाने का प्रस्ताव तैयार किया।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 5 अक्टूबर। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में “प्रशासनिक एकपक्षवाद” के आरोप पर CEC ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की माँग वाली दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। यह नोटिस है, कोई निष्कर्ष नहीं; अदालत ने अंतरिम निलंबन से इनकार किया और CEC, आयुक्त सुखवीर सिंह संधू और विवेक जोशी तथा ECI के दो अधिकारियों से जवाब माँगा। तीन बातें नई हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि “कोई भी संशोधित फ़ॉर्म 6 हमारे द्वारा अनुमोदित नहीं है”, जबकि ECI की 26 सितंबर की प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया था कि अदालत ने नई घोषणा को बरकरार रखा है, जिसमें पृच्छा गया है कि आवेदक या उसके माता-पिता या दादा-दादी का नाम पहले की किसी सूची में था या नहीं। जो निर्णय “न बहुमत से, न सर्वसम्मति से” लिए गए, उनकी व्याख्या करनी होगी। और न्यायमूर्ति बागची ने 2023 के अधिनियम की धारा 16 पर प्रश्न उठाया, जो ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध बाद दायर करने पर रोक लगाती है जो CEC “है या रहा है”।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अनूप बरनवाल (2023) तटस्थ चयन पैनल की माँग करता है → 2023 का अधिनियम मुख्य न्यायाधीश को हटाकर धारा 16 जोड़ देता है → SIR और फ़ॉर्म 6 की नई घोषणा पर विरोध होता है → आयुक्तों की आपत्तियाँ सामने आती हैं → अदालत अभिलेख तलब करती है।

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. अनुच्छेद 324 चुनावों का दायित्व आयोग को सौंपता है और CEC के कार्यकाल को संरक्षण देता है — अनुच्छेद 324(1) निर्वाचन आयोग को मतदाता सूचियों तथा संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। अनुच्छेद 324(5) के अनुसार CEC को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है; अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल CEC की सिफ़ारिश पर।

2. 2023 का अधिनियम नियुक्ति और उन्मुक्ति को शासित करता है — मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 [The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023] अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) के बाद आया। प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की समिति खोज समिति के पैनल में से चयन करती है। धारा 16 अदालतों को किसी कार्यरत या पूर्व CEC या EC के विरुद्ध उनके आधिकारिक कृत्यों के लिए दीवानी या आपराधिक कार्यवाही स्वीकार करने से रोकती है; इसे लोक प्रहरी की चुनौती 13 जनवरी, 2026 को नोटिस जारी होने के बाद से लंबित है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. संवैधानिक निकाय निर्णय कैसे लेते हैं, यह अब परीक्षा-योग्य विषय है — GS2 में “विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व” शामिल हैं। ध्यान अब नियुक्ति से हटकर इस पर आ गया है कि बहु-सदस्यीय आयोग निर्णय कैसे लेता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 324(1) मतदाता सूचियों और चुनावों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित करता है।
- अनुच्छेद 324(5) के अंतर्गत CEC के अतिरिक्त किसी निर्वाचन आयुक्त को केवल CEC की सिफ़ारिश पर ही हटाया जा सकता है।
- 2023 के अधिनियम के अंतर्गत चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं।
- फ़ॉर्म 6 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आवेदन है।

विश्लेषण (ANALYSIS)	दृष्टि — स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व : अदालत स्वतंत्रता की नहीं, सामूहिकता की परीक्षा ले रही है — आयोग तीन सदस्यों का इसीलिए है कि मताधिकार पर किसी एक अधिकारी का नियंत्रण न रहे; यदि CEC अकेले निर्णय करें तो बाकी दो महज़ शोभा बनकर रह जाते हैं। यह पूछना कि निर्णयों को बहुमत मिला था या नहीं, चुनाव-नीति में दखल दिए बिना इसी आंतरिक नियंत्रण को लागू करता है। दर्ज किए गए सामूहिक निर्णय CEC की व्यक्तिगत पक्षपात के आरोपों से भी बचाएँगे। आजीवन उन्मुक्ति न्यायाधीश-जैसे पद के साथ बेमेल बैठती है — पद पर रहते हुए मिला संरक्षण अधिकारी को परेशान करने वाले मुकदमों से मुक्त रखता है; न्यायमूर्ति बागची के संकेत के अनुसार, इसे जीवन भर के लिए बढ़ा देना न्यायाधीश से अधिक राष्ट्रपति की स्थिति जैसा है। प्रतिपक्ष का तर्क है कि धारा 16 केवल आधिकारिक कृत्यों को ढकती है और न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 की प्रतिध्वनि है; असली कसौटी यह है कि क्या यह जानबूझकर किए गए कदाचार को भी बचाती है। एक फ़ॉर्म नाम काटे जाने से अधिक चुपचाप मताधिकार छीन सकता है — पूर्व CEC एस.वाई. कुरेशी द इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि फ़ॉर्म 6 से बहाल होने वाले मतदाताओं को घोषित करना पड़ता है कि वे “पहली बार” आवेदन कर रहे हैं, जो झूठा बयान होने पर RP अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अंतर्गत दंडनीय है; वे अलग “फ़ॉर्म 6X” का सुझाव देते हैं। बंगाल में अधिकरण के न्यायाधीश कहते हैं कि EC का पोर्टल नोटिस तक नहीं भेज पाता; 38.31 लाख अपीलों में से केवल 1.26 लाख निपटी हैं। अधिकार प्रक्रिया में ही खोए जा रहे हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“कार्यपालिका से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का आयोग के भीतर उत्तरदायित्व के बिना कोई अर्थ नहीं है।” आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — संरक्षित CEC को आंतरिक और न्यायिक नियंत्रणों के सामने तौलिए; निष्कर्ष दीजिए। भूमिका — अनुच्छेद 324 संरक्षित प्रमुख वाला बहु-सदस्यीय निकाय बनाता है — अनुच्छेद 324(1) और (5) पर दो पंक्तियाँ। 2023 में कार्यपालिका से अलग-अलग कमज़ोर किया गया — मूल्य-संवर्धन: अनूप बरनवाल (2023) और मुख्य न्यायाधीश के बिना बनी समिति। एकतरफ़ा निर्णय और आजीवन उन्मुक्ति भीतर का उत्तरदायित्व खोखला करते हैं — “न बहुमत से, न सर्वसम्मति से” टिप्पणी और धारा 16 का प्रयोग कीजिए; प्रवाह-चित्र बनाइए: CEC → सामूहिक मतदान → कार्यवृत्त → न्यायिक पुनर्विलोकन। फिर भी मुकदमों से घिरा CEC चुनाव नहीं करा सकता — प्रामाणिक अभिलेख आने तक निलंबन से इनकार का उल्लेख कीजिए। निष्कर्ष — लिखित कार्य-संचालन नियम, और उन्मुक्ति केवल सद्भावपूर्ण कृत्यों तक सीमित — एक पंक्ति।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. ज़िला निर्वाचन अधिकारी के रूप में आपको बहाली के दावे केवल नए फ़ॉर्म 6 पर ही स्वीकार करने हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं आयोग के निर्देश का पालन करूँगा, पर यह लिखित स्पष्टीकरण भी माँगूँगा कि पुराने मतदाता “पहली बार” वाली घोषणा को कैसे लें। इस बीच मैं हर आवेदक का पुराना EPIC और सूची की प्रविष्टि दर्ज करूँगा ताकि कोई झूठा बयान देने को विवश न हो। मैं निपटान के आँकड़े भी सही-सही रिपोर्ट करूँगा।

1.2 बिहार ने राज्य में ब्याही महिलाओं से जाति प्रमाणित करने के लिए उनके मायके का पता माँगा

मुद्दा Reservation, domicile and migration (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** परंपरा और सामाजिक न्याय • केंद्र और राज्य

अब तक की कहानी बिहार ने अगस्त 2025 में अधिवास नीति अधिसूचित की, जिसमें शिक्षक पदों का केवल 15% बाहरी लोगों के लिए खुला है; इससे पहले 2023 का अधिवास खंड कुछ ही महीनों में रद्द कर दिया गया था।

समाचार (THE NEWS) पटना, 5 अक्टूबर। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने निर्णय दिया है कि “आरक्षण का लाभ लेने की इच्छुक विवाहित महिलाओं को अपना जाति, निवास और नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र पति के नहीं, बल्कि माता-पिता के पते से प्रस्तुत करना होगा”, द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया। 22 सितंबर की अधिसूचना तब आई जब BPSC ने चौथी शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) के 32,388 पदों के लिए आवेदन खोले। व्यवहार में, दूसरे राज्य की जो महिला बिहार में ब्याहकर आई है, उसे वहाँ कोई आरक्षण नहीं मिलता। (नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र दर्शाता है कि OBC अभ्यर्थी का परिवार संपन्न वर्ग में नहीं है, जिसे आरक्षण से बाहर रखा गया है।) अगस्त 2025 के BPSC TRE अधिवास नियमों के अनुसार, बिहार से मैट्रिक या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वालों को 40% कोटा मिलता

है और बाहरी केवल 15% खुले पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिनमें न महिला कोटा है और पात्रता परीक्षा में 60% कट-ऑफ़ है। TRE-I से III में लगभग 50,000 बाहरी राज्यों के शिक्षक, यानी 2.68 लाख नियुक्तियों का करीब पाँचवाँ हिस्सा, भर्ती हुए।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

बिहार 2023 से खुली भर्ती में लाखों शिक्षक रखता है → लगभग एक-पाँचवाँ हिस्सा अन्य राज्यों से आता है → स्थानीय असंतोष से अगस्त 2025 के अधिवास नियम बनते हैं → बिहार में ब्याही महिलाएँ पति का पता इस्तेमाल करती हैं → BPSC आरक्षण के कागज़ात मायके से जोड़ देता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. अनुच्छेद 16 निवास के आधार पर भेदभाव रोकता है, सिवाय संसद के कानून के — अनुच्छेद 16(2) सार्वजनिक नियोजन में जन्म-स्थान और निवास सहित आधारों पर भेदभाव निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 16(3) केवल संसद को किसी राज्य के अधीन पदों के लिए निवास की अपेक्षा निर्धारित करने देता है, और अनुच्छेद 35 यह शक्ति संसद के पास ही रखता है। अनुच्छेद 16(4) उन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। 2. आरक्षित श्रेणी की हैसियत मूल राज्य के अनुसार चलती है — मरी चंद्र शेखर राव (1990) और एक्शन कमेटी ऑन इश्यू ऑफ़ कास्ट सर्टिफिकेट (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रवास करने वाला अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति नए राज्य में आरक्षण का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ये सूचियाँ राज्य-दर-राज्य बनती हैं। यह भी स्थापित है कि जाति जन्म से तय होती है और विवाह से बदली नहीं जा सकती (सुनीता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2018)।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. अधिवास कोटा संघवाद और समता का बार-बार उठने वाला प्रश्न है — GS2 में “समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ” और “संघीय ढाँचे से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ” शामिल हैं। अब अधिक राज्य नौकरियाँ स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर रहे हैं, और हर नियम अनुच्छेद 16 का वही प्रश्न खड़ा करता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत केवल संसद ही किसी राज्य के अधीन नियोजन के लिए उसी राज्य में निवास को शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है। ● अनुच्छेद 16(2) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म-स्थान या निवास के आधार पर सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव का प्रतिषेध करता है। ● अनुच्छेद 16(4) राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व से वंचित पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था करने में समर्थ बनाता है। ● नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र OBC आरक्षण के लिए आवश्यक है; यह पिछड़े वर्गों के उन्नत तबके को बाहर रखता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टि — परंपरा और सामाजिक न्याय: पितृस्थानीय समाज का सामना ऐसे नियम से, जो उसे अनदेखा करता है — भारत के अधिकांश हिस्सों में महिला पति के घर जाती है, इसलिए उसका कार्य-जीवन पति के राज्य में बनता है। यह नियम उसका कोटा उसके जन्म-स्थान से जोड़ता है, न कि वहाँ से जहाँ वह रहती है। जाति के मामले में राज्य सही है, जो राज्य-दर-राज्य सूचीबद्ध है और विवाह से प्राप्त नहीं होती। लेकिन निवास एक अलग तथ्य है, और उसे सिद्ध करने के लिए केवल महिलाओं को ही पिता के घर लौटाया जाता है। 2. स्कूली शिक्षा पर आधारित कोटा राज्यों द्वारा अनुच्छेद 16(3) को साधने का तरीका है — बिहार निवासियों के लिए पद आरक्षित नहीं कर सकता, इसलिए उसका 40% कोटा बिहार में पढ़े लोगों के लिए है। अदालतें जन्म या निवास की तुलना में शैक्षिक संबंध को अधिक सहजता से स्वीकार करती हैं। फिर भी प्रभाव निवास-कोटे के काफ़ी करीब है। 3. इसकी क्रीमत बिहार के अपने स्कूलों को चुकानी पड़ेगी — बिहार ने बाहर से भर्ती इसलिए की क्योंकि वह पद भर नहीं पा रहा था: TRE-I में 1.70 लाख रिक्तियों के विरुद्ध लगभग 1.20 लाख नियुक्तियाँ हुईं। उम्मीदवारों का दायरा सिकुड़ने से रिक्तियाँ फिर बढ़ने का जोखिम है। प्रतिपक्ष का तर्क है कि स्थानीय शिक्षक भाषा जानते हैं और अधिक समय तक टिकते हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	विवाह के कारण प्रवास करने वाली महिलाओं के संदर्भ में परीक्षण कीजिए कि राज्य की भर्ती में अधिवास-संबंधी शर्तें अनुच्छेद 16 के अनुरूप हैं या नहीं। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — नियम को अनुच्छेद 16 की कसौटी पर परखिए और तर्कपूर्ण मत दीजिए। 2. भूमिका — बिहार आरक्षण के कागज़ात को माता-पिता के पते से जोड़ता है — TRE-4 पर एक पंक्ति।

	3. मूल के आधार पर जाति की हैसियत स्थापित विधि है — मूल्य-संवर्धन: मरी चंद्र शेखर राव (1990)। 4. अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत निवास की शर्त के लिए संसद का कानून चाहिए — चित्र बनाइए: जन्म का राज्य → विवाह → कार्य का राज्य, हर चरण पर कोटा-पात्रता दर्शाते हुए। 5. निष्कर्ष — जाति के प्रमाण को निवास के प्रमाण से अलग कीजिए — महिलाओं को ससुराल के पते से निवास सिद्ध करने दीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. BPSC सचिव के रूप में, उत्तर प्रदेश की उस महिला को आप क्या उत्तर देंगे जो दस वर्ष से बिहार में रह रही है और जिसे OBC लाभ देने से मना कर दिया गया ? दृष्टिकोण (Approach): मैं समझाऊंगा कि जाति आरक्षण एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित नहीं होता, जो स्थापित विधि है, इसलिए वह सामान्य श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करेगी। मैं यह भी जाँचूंगा कि निवास या स्कूली शिक्षा पर आधारित लाभों से उसे अलग से वंचित तो नहीं किया जा रहा। और परीक्षा से पहले एक स्पष्ट FAQ जारी करूंगा, ताकि अभ्यर्थी आवेदन के बाद पता चलने वाले किसी नियम के कारण एक वर्ष न गँवाएँ।

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

आज की तीनों खबरें इस सवाल से जुड़ी हैं कि आर्थिक खेल के नियम कौन तय करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शुल्क (टैरिफ़) अब मोल-भाव का औज़ार नहीं, बल्कि हथियार बन गए हैं, इसलिए भारत यूरोपीय संघ के समझौते की ओर मुड़ रहा है। घरेलू मोर्चे पर केंद्र ने खनन कानून के सहारे राज्यों की कर-शक्ति को सीमित कर दिया है, और अदालतों को एक बार फिर रेखा खींचनी होगी। ग्रामीण रोज़गार की नई अनुसूची में केंद्र दिल्ली से यह तय कर रहा है कि गारंटीशुदा रोज़गार के तहत कोई गाँव क्या बना सकता है।

2.1 भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता 'पठार' पर पहुँची, शुल्क 'हथियार' बने; दिसंबर में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता

मुद्दा भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और शुल्क (कड़ी 2) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी • बाज़ार और राज्य

अब तक की कहानी फरवरी 2026 में तय हुआ भारत-अमेरिका व्यापार ढाँचा अभी हस्ताक्षरित नहीं हुआ है। धारा 301 की एक जाँच के कारण भारतीय वस्तुओं पर 10% शुल्क पहले ही लग चुका है, दूसरी जाँच लंबित है, और वाशिंगटन का कहना है कि समझौता 'निकट नहीं' है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। सोमवार को म्यूनिख लीडर्स मीटिंग में बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत-अमेरिका वार्ता एक ऐसे 'पठार' पर पहुँच गई है जिसके आगे देना या लेना बहुत कठिन हो सकता है; यह प्रक्रिया 'कठिन और अत्यंत कड़ाई से की गई वार्ता' की रही है। मुख्य अड़चन अमेरिका के साथ भारत का व्यापार अधिशेष है, जो 2025-26 में वस्तुओं में लगभग 34.4 अरब डॉलर रहा (ET) और जिसे वाशिंगटन घटाना चाहता है। चीन के साथ भारत का वस्तु व्यापार घाटा 112-113 अरब डॉलर है। उन्होंने कहा, "शुल्क हथियार बन गए हैं," यानी उनका उपयोग मोल-भाव के साधन के बजाय नतीजे थोपने के लिए हो रहा है। एक नया अमेरिकी कानून रूसी तेल के खरीदारों पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति देता है, और धारा 301 के तहत 'अतिरिक्त क्षमता' की जाँच अभी लंबित है (IE)। उन्होंने कहा कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में रूसी तेल कभी शर्त नहीं था; यह समझौता दिसंबर में हस्ताक्षरित होना है और उन्होंने इसे 'सभी समझौतों की जननी' कहा।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा है → वह केवल बातचीत करने के बजाय शुल्क, धारा 301 की जाँच और रूसी तेल शुल्क कानून का सहारा लेता है → वार्ता 'पठार' पर अटक जाती है → भारत यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते की ओर बढ़ता है, जिस पर दिसंबर में हस्ताक्षर होने हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. विश्व व्यापार संगठन (WTO) के कानून में भेदभाव-रहितता नियम है और मुक्त व्यापार समझौते अपवाद — GATT का अनुच्छेद I सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (Most-Favoured-Nation — MFN) का नियम तय करता है: किसी एक WTO सदस्य को दी गई शुल्क रियायत सभी सदस्यों को देनी पड़ती है। अनुच्छेद XXIV मुक्त व्यापार क्षेत्रों और सीमा शुल्क संघों की अनुमति तभी देता है जब वे साझेदारों के बीच 'लगभग सभी व्यापार' पर शुल्क हटा दें।
2. धारा 301 अमेरिका को 'अनुचित' व्यापार के विरुद्ध अपने स्तर पर कार्रवाई की छूट देती है — अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 (US Trade Act of 1974) की धारा 301 अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को किसी देश की व्यापारिक प्रथाओं की जाँच करने और उन्हें अनुचित या भेदभावपूर्ण पाए जाने पर शुल्क लगाने का अधिकार देती है। वाशिंगटन यह निर्णय WTO की विवाद निपटान व्यवस्था से बाहर, अकेले लेता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. पाठ्यक्रम व्यापार को विदेशों में भारत के हितों से जोड़ता है — GS2 में 'विकसित और विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव' आता है और GS3 में 'उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव'। अमेरिका के साथ अटकी वार्ता और यूरोपीय संघ के साथ लगभग अंतिम समझौता संरक्षणवाद तथा भारत की मुक्त व्यापार समझौता रणनीति, दोनों का उदाहरण हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) सिद्धांत GATT के अनुच्छेद I में है; अनुच्छेद XXIV अपवाद के रूप में मुक्त व्यापार क्षेत्रों और सीमा शुल्क संघों की अनुमति देता है।
- अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 की धारा 301 अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को उन विदेशी व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध एकतरफ़ा कार्रवाई का अधिकार देती है जिन्हें वह अनुचित मानता है।
- GATT के अनुच्छेद XXIV के अनुसार, मुक्त व्यापार क्षेत्र को अपने सदस्यों के बीच 'लगभग सभी व्यापार' पर शुल्क समाप्त करना होता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. 'पठार' का संकेत वाशिंगटन के लिए यह है कि और दबाव डालने से और रियायतें नहीं मिलेंगी — वार्ता तब पठार पर पहुँचती है जब दोनों पक्ष वह सब दे चुके होते हैं जो आसानी से दिया जा सकता है; उसके बाद दबाव की ताकत ही फैसला करती है। अमेरिका रूसी तेल शुल्क कानून और लंबित जाँच के ज़रिये अपनी यह ताकत खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। इसे 'पठार' कहना केवल

	स्थिति का वर्णन नहीं, बल्कि वार्ता की मेज़ पर दिया गया संदेश भी है। 2. दृष्टिकोण — रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी : अकेला व्यापार अधिशेष दंड का आधार नहीं हो सकता — यदि अधिशेष ही दंडात्मक शुल्क को उचित ठहराने के लिए काफ़ी होता, तो भारत चीन के साथ भी यही कर सकता था, जिसके साथ उसका घाटा कहीं बड़ा है; फिर भी वह बातचीत का रास्ता चुनता है। समझदारी भरा रुख यह है कि वाशिंगटन से बातचीत जारी रखी जाए, पर व्यापार संतुलन को निष्पक्ष समझौते की कसौटी बनने से इनकार किया जाए। 3. यूरोपीय संघ का समझौता अमेरिकी बाज़ार का विकल्प है, उसकी जगह लेने वाला नहीं — दो अरब लोग और, उनके शब्दों में, विश्व व्यापार के एक-चौथाई हिस्से को समेटने वाला समझौता निर्यातकों को एक और बाज़ार देता है। परंतु यूरोपीय संघ अभी भारतीय वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पादों और सेवाओं के खरीदार के रूप में अमेरिका की जगह नहीं ले सकता, और उसका अपना कार्बन सीमा कर (CBAM) भी है। विविधीकरण से भारत का जोखिम बंटता है, पर अमेरिका के साथ समझौते की ज़रूरत खत्म नहीं होती।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“शुल्क हथियार बन गए हैं।” इस कथन के आलोक में परीक्षण कीजिए कि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ अपनी व्यापार वार्ताओं में संतुलन कैसे साधना चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — दोनों मोर्चों पर साक्ष्यों के आधार पर कथन की परख कीजिए और तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुँचिए। 2. भूमिका — अमेरिका के साथ वार्ता अटकी है और नतीजे थोपने के लिए शुल्क का उपयोग हो रहा है — ‘पटार’ और ‘हथियार’ वाले कथनों का उल्लेख कीजिए और दिसंबर में प्रस्तावित यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की चर्चा कीजिए। 3. व्यापार संतुलन साधने के लिए शुल्क का उपयोग WTO नियमों के विपरीत है — GATT के अनुच्छेद 1 की तुलना रूसी तेल शुल्क कानून और धारा 301 की जाँच से कीजिए। मूल्य-वर्धन: अमेरिका के साथ 34.4 अरब डॉलर का वस्तु अधिशेष, जबकि चीन के साथ 112-113 अरब डॉलर का घाटा। 4. यूरोपीय संघ का समझौता भारत की स्थिति मज़बूत करता है, पर अमेरिकी बाज़ार की जगह नहीं ले सकता — ‘दो अरब लोग, विश्व व्यापार का एक-चौथाई’ को CBAM के सामने तौलिए। आरेख: भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ का त्रिकोण, जिसकी एक भुजा पर शुल्क का दबाव और दूसरी पर बाज़ार पहुँच। 5. निष्कर्ष — विविधीकरण कीजिए और वार्ता जारी रखिए — यूरोपीय संघ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कीजिए और व्यापार संतुलन को कसौटी माने बिना अमेरिका से बातचीत के रास्ते खुले रखिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. वाणिज्य सचिव के रूप में, अमेरिका के साथ समझौता अटका रहने के दौरान आप निर्यातकों की रक्षा कैसे करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): अमेरिकी खरीदारों ने थोक ऑर्डर देना बंद कर दिया है, इसलिए जोखिम केवल ऊँचे शुल्क का नहीं, बल्कि कारोबार खो देने का है। मैं निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ हर महीने ऑर्डरों की निगरानी करूँगा, अमेरिका के सबसे अधिक संपर्क वाले श्रम-प्रधान समूहों (क्लस्टरों) को प्राथमिकता से सहायता दूँगा, और यूरोपीय संघ के साथ समझौता हो जाना पर उसका लाभ उठाने के लिए उन्हें तैयार करूँगा। वार्ता में मैं स्पष्ट लक्ष्य-रेखाएँ बनाए रखूँगा, ताकि दबाव से भारत की स्थिति कमज़ोर न पड़े।

2.2 खनन कर पर अंकुश से खनिज-संपन्न राज्य निर्भरता और राजनीति की रेखाओं पर बँटे

मुद्दा खनन संशोधन अधिनियम और राज्यों के कर अधिकार (कड़ी 4) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य • तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 की धारा 9D राज्यों को खनिज अधिकारों या खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने से रोकती है, केवल केंद्र की शर्तों पर छोड़कर। आलोचक इसे राज्य सूची की प्रविष्टि 49 में दखल बताते हैं; ओडिशा ने अपनी हानि का आकलन नहीं किया है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू में सफ़ीरा हुसैन (लोकनीति-CSDS) और संजय कुमार के एक विश्लेषण में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 पर राज्यों की प्रतिक्रियाओं का खाका खींचा गया है। झारखंड की गैर-कर आय में खनिज प्राप्तियों का हिस्सा 85% और ओडिशा की गैर-कर आय में 80% है, जबकि तेलंगाना में केवल 11% और छत्तीसगढ़ में 6%। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और केरल इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं। झारखंड ने चेताया है कि वसूल न की गई पुरानी बकाया राशि रद्द करने से उसकी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को चोट पहुँचेगी। ओडिशा की भाजपा सरकार का कहना है कि इस कानून से कोई नुकसान नहीं है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ ने कोई आपत्ति नहीं

जताई है। ET में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के पूर्व अध्यक्ष नजीब शाह गुरुवार की GST परिषद बैठक से पहले औद्योगिक अल्कोहल को लेकर ऐसे ही एक विवाद की ओर ध्यान दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर 2024 को इस पर राज्यों को अधिकार दिया था (ET ने मत-विभाजन गलती से “9-8” छपा है; वह 8:1 था), फिर भी उस पर आज भी GST के तहत 18% कर लगता है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

2024 में सर्वोच्च न्यायालय फैसला देता है कि रॉयल्टी कर नहीं है और राज्य खनिज अधिकारों तथा भूमि पर कर लगा सकते हैं → राज्य पुरानी बकाया राशि के दावे करते हैं → केंद्र MMDR अधिनियम में संशोधन कर ऐसे करों को अपनी शर्तों के अलावा रोक देता है और अवसूलित बकाया रद्द कर देता है → खनिज पर निर्भर और विपक्ष-शासित राज्य अदालत की ओर बढ़ते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम सेल (SAIL) (2024) ने खनिज भूमि पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा — 25 जुलाई 2024 को नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 8:1 के बहुमत से, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की असहमति के साथ, फैसला दिया कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR Act) के तहत रॉयल्टी कर नहीं है, और इंडिया सीमेंट (1989) के निर्णय को पलट दिया। राज्य सूची की प्रविष्टि 50 के तहत राज्य खनिज अधिकारों पर कर लगा सकते हैं, बशर्ते संसद द्वारा तय सीमाओं का पालन हो। प्रविष्टि 49 के तहत भूमि पर कर लगाने की उनकी शक्ति को संघ सूची की प्रविष्टि 54 के माध्यम से घटाया नहीं जा सकता। 2. सातवीं अनुसूची खनन को संघ और राज्यों के बीच बाँटती है — राज्य सूची की प्रविष्टि 23 खानों और खनिज विकास से संबंधित है, जो संघ सूची की प्रविष्टि 54 के अधीन है; MMDR अधिनियम, 1957 उसके तहत संसद का बनाया कानून है। किसी विषय को विनियमित करने की शक्ति में अपने-आप उस पर कर लगाने की शक्ति शामिल नहीं होती।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. राजकोषीय संघवाद GS2 का एक सतत विषय है — GS2 में ‘संघीय ढाँचे से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ, तथा स्थानीय स्तर तक शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण’ शामिल है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण (Mineral Area Development Authority v. Steel Authority of India, 2024) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 8:1 से माना कि रॉयल्टी कर नहीं है। ● राज्य सूची की प्रविष्टि 23 (खान और खनिज विकास) संघ सूची की प्रविष्टि 54 के अधीन है; राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 49 और 50 क्रमशः भूमि और खनिज अधिकारों पर करों से संबंधित हैं। ● उत्तर प्रदेश राज्य बनाम लल्ला प्रसाद वैश्य (State of U.P. v. Lalta Prasad Vaish, 23 अक्टूबर 2024) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 8:1 से माना कि राज्य सूची की प्रविष्टि 8 में ‘मादक द्रव’ में औद्योगिक अल्कोहल भी शामिल है, और सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स (1990) के निर्णय को पलट दिया।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टिकोण — तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार: पुराना बकाया रद्द करने से अभी लागत घटती है, पर केंद्र-राज्य समझौतों में भरोसा कमजोर होता है — केंद्र की बात में दम है: एक-दूसरे पर चढ़े हुए कर भारतीय खनिजों को महंगा बनाते हैं और उद्योग को आयात की ओर धकेलते हैं। पर 2024 के बाद राज्य जो बकाया वैध रूप से वसूल सकते थे, उसे रद्द कर देना उन कंपनियों को इनाम देता है जिन्होंने भुगतान नहीं किया, जबकि जिन्होंने भुगतान किया उन्हें कोई वापसी नहीं मिलती; यही अनुच्छेद 14 की आपत्ति है जो PRS उठाता है। बेहतर रास्ता यह होगा कि भविष्य के करों की सीमा आपसी सहमति से तय किसी सूत्र द्वारा बाँध दी जाए और पुराने बकाये को छुआ न जाए। 2. कौन-से राज्य लड़ेंगे, यह केवल निर्भरता नहीं, दलीय संरेखण भी तय करता है — ओडिशा झारखंड जितना ही खनिजों पर निर्भर है, फिर भी उसे कोई हानि नहीं दिखती; तेलंगाना का नुकसान कम है, फिर भी वह अदालत जा रहा है। निर्भरता से दाँव पर लगा हित बनता है; वह चुनौती बनेगा या नहीं, यह दलीय संरेखण तय करता है। दलों में बँटा विवाद केंद्र के लिए एकजुट मोर्चे की तुलना में संभालना आसान होता है। 3. औद्योगिक अल्कोहल में वही रुझान दिखता है: अदालत फैसला देती है, पर पैसा नहीं खिसकता — राज्यों ने 2024 में औद्योगिक अल्कोहल पर कर लगाने की शक्ति जीती, फिर भी उस पर आज भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 18% GST लगता है। इसलिए शाह GST परिषद से राज्यों की शक्ति को मान्यता देने और राज्यों से उत्पाद शुल्क को प्रभावी GST भार के आसपास रखने को कहते हैं। अदालतें तय करती हैं कि कर कौन लगा सकता है; बँटवारे के लिए फिर भी बातचीत ज़रूरी है।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	क्या MMDR संशोधन अधिनियम, 2026 उन कर-शक्तियों को कमजोर करता है जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में राज्यों के लिए मान्यता दी थी ? टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — टिप्पणी कीजिए — साक्ष्यों के सहारे तर्कसंगत राय प्रस्तुत कीजिए। 2. भूमिका — अधिनियम उस शक्ति को सीमित करता है जिसकी पुष्टि अदालत ने की थी — केंद्र की शर्तों के अलावा कर वर्जित है; अवसूलित बकाया रद्द कर दिया गया है। 3. भूमि के मामले में हाँ: प्रविष्टि 54 के जरिये प्रविष्टि 49 को घटाया नहीं जा सकता — 2024 के फ़ैसले (8:1) का हवाला दीजिए। मूल्य-वर्धन: खनिज झारखंड की गैर-कर आय का 85% और ओडिशा की 80% हैं। 4. खनिज अधिकारों के मामले में अंशतः नहीं: प्रविष्टि 50 संसद की सीमाओं के अधीन है — लागत संबंधी तर्क को स्वीकार कीजिए। अरेख: प्रविष्टि 23 → प्रविष्टि 54 के अधीन → प्रविष्टियाँ 49 और 50, जिन पर क्रमशः 'विनियमन' और 'कर' अंकित हों। 5. निष्कर्ष — भविष्य की सीमाएँ मिलकर तय कीजिए और पुराने बकाये को न छेड़िए — GST परिषद के मॉडल पर एक संयुक्त सूत्र का सुझाव दीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. झारखंड के वित्त सचिव के रूप में, आप पुराने खनिज बकाये के रद्द किए जाने पर क्या प्रतिक्रिया देंगे ? दृष्टिकोण (Approach): मैं सबसे पहले खनिज और वर्ष के अनुसार सटीक हानि की गणना करूँगा, क्योंकि अदालती मामले और वित्त आयोग से अनुरोध, दोनों के लिए सटीक आँकड़े चाहिए, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए पहले धन का प्रबंध करूँगा। प्रविष्टि 49 के भूमि-कर वाले मुद्दे पर, जहाँ 2024 का फ़ैसला सबसे स्पष्ट है, मैं सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती का समर्थन करूँगा, साथ ही भविष्य के क़रों के किसी न्यायसंगत सूत्र पर बातचीत के लिए भी खुला रहूँगा।

2.3 केंद्र ने VB-G RAM G के तहत 266 से बढ़ाकर 375 स्वीकार्य कार्य अधिसूचित किए

मुद्दा Rural job guarantee (VB-G RAM G) (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार • विकास और समता

अब तक की कहानी 2025 के एक कानून ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), 2005 की जगह विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी ढाँचा लागू किया, जिसमें कार्य-गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गई और लागत का बँटवारा केंद्र-राज्य के बीच 60:40 कर दिया गया।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। 6 अक्टूबर 2026 की PIB विज्ञप्ति के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी [VB-G RAM G] अधिनियम, 2025 के तहत 375 स्वीकार्य कार्यों की अनुसूची अधिसूचित की है, जो पहले के 266 से 41% अधिक है। स्वीकार्य कार्य वे ही परियोजनाएँ हैं जिन पर गारंटीशुदा रोज़गार दिया जा सकता है। ये चार समूहों में आते हैं: जल सुरक्षा (128 कार्य, जैसे चेक डैम, ड्रिप सिंचाई और आइस-स्तूप); मूल ग्रामीण अवसंरचना (111, जैसे सौर स्ट्रीट लाइट और पुस्तकालय); आजीविका अवसंरचना (98, जैसे शीत भंडार और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के कार्य-शेड), जो अब सूची का 26% हैं जबकि पहले केवल 1.1% थे; और आपदा-तैयारी का एक नया समूह (38, जैसे बाढ़ आश्रय)। सभी समूहों में 181 कार्य कृषि के लिए, 107 अंत्योदय परिवारों के लिए, और महिलाओं तथा युवाओं के लिए 36-36 कार्य हैं। कार्यों का चयन ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं में होता है और उनकी निगरानी विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर की जाती है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

MGNREGA (2005) 100 दिन की गारंटी देता है, पर ज़्यादातर मिट्टी के कार्य और जल-परिसंपत्तियाँ बनती हैं → 2025 का कानून उसकी जगह 125 दिन और 60:40 लागत-बँटवारा लाता है → 2026 की अनुसूची सूची को 375 कार्यों तक फैलाती है, जिसका झुकाव आजीविका और आपदा-संबंधी परिसंपत्तियों की ओर है → कसौटी यह है कि गाँव ये कार्य चुनते हैं या नहीं और धन उनके पीछे आता है या नहीं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. 2025 के कानून ने रोज़गार गारंटी के केवल नाम को नहीं, उसकी शर्तों को बदला — 16 दिसंबर 2025 को पेश विधेयक के PRS सारांश के अनुसार, यह MGNREGA, 2005 की जगह लेता है और प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वर्ष मज़दूरी वाले रोज़गार की गारंटी बढ़ाकर 125 दिन करता है। लागत केंद्र द्वारा तय आबंटन के भीतर केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में बँटती है (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10)। कृषि के व्यस्त मौसम में कार्य अधिकतम 60 दिनों तक रोके जा सकते हैं।
2. अनुच्छेद 41 काम के अधिकार की संवैधानिक जड़ है — अनुच्छेद 41, जो एक नीति निर्देशक तत्व है, राज्य से अपनी आर्थिक सामर्थ्य की सीमा में काम पाने के, शिक्षा पाने के, तथा

	बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अंगहीनता की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है। कोई कानून इस अप्रवर्तनीय लक्ष्य को कानूनी हक में बदल देता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. ग्रामीण रोज़गार GS2 और GS3 को जोड़ता है — GS2 में 'समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ' आती हैं और GS3 में 'समावेशी विकास और उससे उत्पन्न मुद्दे'। बहस अब राहत से हटकर परिसंपत्तियों की टिकाऊपन की ओर बढ़ गई है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 41, जो एक नीति निर्देशक तत्व है, राज्य को निर्देश देता है कि वह अपनी आर्थिक सामर्थ्य की सीमा में काम के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करे। ● VB-G RAM G अधिनियम, 2025 ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 की जगह ली। ● PRS के अनुसार, VB-G RAM G की लागत केंद्र और राज्य 60:40 के अनुपात में वहन करते हैं (पूर्वांचल और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10)। ● VB-G RAM G अधिनियम के तहत कार्यों की योजना ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से बनाई जाती है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टिकोण — तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार: सूची का लक्ष्य अब केवल संकट में राहत देना नहीं, अर्थव्यवस्था खड़ी करना है — रोज़गार गारंटी पहले संकट के समय मज़दूरी देती है; उसका स्थायी मूल्य इस बात में है कि काम पीछे क्या छोड़ जाता है। आजीविका कार्यों का हिस्सा 1.1% से 26% होने का मतलब है कि शीत भंडार या मंडी-परिसर बरसों तक आय दे सकता है, जबकि गाद से भरता तालाब यह नहीं कर सकता। पर ऐसी परियोजनाओं के लिए कौशल, सामग्री और रखरखाव चाहिए, और वे अकुशल श्रम को पीछे धकेल सकती हैं। 2. लंबी सूची तभी काम की है जब फ़ैसला सचमुच ग्राम सभा करे — अधिक कार्यों का मतलब अधिक विकल्प है, जिसका निर्णय योजना ग्राम सभा के हाथ में रखती है। व्यवहार में योजनाएँ अक्सर खंड स्तर के कर्मचारी लिखते हैं और तकनीकी कार्य वहीं पहुँचते हैं जहाँ इंजीनियर उपलब्ध होते हैं। 3. नए धन के बिना नई श्रेणियाँ कागज़ पर ही रह सकती हैं — विज्ञप्ति में धन-व्यवस्था पर चुप्पी है। राज्यों को 40% भुगतान करना है और मानक आबंटन से ऊपर का बोझ भी उन्हीं पर पड़ता है, इसलिए भारी माँग वाले गरीब राज्य शायद केवल सबसे सस्ते मिट्टी के कार्य ही करवा पाएँ। समानता की कसौटी यह है कि सबसे अधिक संकटग्रस्त ज़िलों को पूरी सूची का उपयोग करने लायक बजट मिलता है या नहीं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	स्वीकार्य कार्यों की सूची का विस्तार भारत की ग्रामीण रोज़गार गारंटी को सुरक्षा-जाल से परिसंपत्ति-निर्माण के इंजन में किस हद तक बदल सकता है? (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — किस हद तक — कथन कहाँ तक सही है, इस पर सीमाओं सहित निर्णय दीजिए। 2. भूमिका — 2025 के अधिनियम के तहत 266 की जगह 375 कार्य — PIB विज्ञप्ति का हवाला दीजिए: चार समूह, जिनमें आजीविका कार्य 1.1% से बढ़कर 26% हुए हैं। 3. अनुसूची का झुकाव उत्पादक और जलवायु-सहनशील परिसंपत्तियों की ओर है — 128 जल-कार्य और 38 आपदा-कार्यों का उपयोग कीजिए। आरेख: मज़दूरी → परिसंपत्ति → खेती या SHG की आय → संकटजन्य पलायन में कमी। 4. वित्त-व्यवस्था और स्थानीय क्षमता सीमा तय करती हैं — मूल्य-वर्धन: 60:40 का बँटवारा और केंद्र-निर्धारित मानक आबंटन (PRS के अनुसार), सामग्री की लागत का श्रम को पीछे धकेलना, और खंड स्तर के कर्मचारियों द्वारा लिखी जाने वाली योजनाएँ। 5. निष्कर्ष — कार्यों की सूची परिणाम नहीं होती — राज्यों को ज़रूरत के हिसाब से धन दीजिए, हर परिसंपत्ति के लिए एक रखरखावकर्ता तय कीजिए, और अनुच्छेद 41 की भावना के अनुरूप माँग पर मज़दूरी बनाए रखिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q &	प्रश्न 1. ज़िला कलेक्टर के रूप में, आप नए आजीविका कार्यों को मज़दूरी चाहने वालों को पीछे धकेलने से कैसे रोकेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं हर पंचायत योजना में अकुशल श्रम पर व्यय का एक न्यूनतम हिस्सा तय करूँगा और हर महीने उसकी जाँच करूँगा। शीत भंडार जैसे आजीविका कार्य केवल वहीं

APPROACH)

मंजूर होंगे जहाँ कोई SHG या उत्पादक समूह उन्हें चलाने का वचन दे। मैं विशेष ग्राम सभाएँ बुलाऊंगा ताकि कार्य स्थानीय माँग को दर्शाएँ, और सामाजिक अंकेक्षण के लिए कार्यो तथा भुगतानों को सार्वजनिक करूँगा।

3. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

तीनों खबरें एक ही प्रश्न से जुड़ी हैं: जब नियम दूसरे लिख रहे हों, तब भारत को किन नियमों के साथ जीना होगा? स्विट्ज़रलैंड के साथ भारत बाज़ार-पहुँच के बदले पूँजी और वीज़ा का सौदा कर रहा है, और अब उसके सामने निवेश संरक्षण तथा पेटेंट के रूप में बिल आने वाला है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) में 66 सदस्य भारत के वीटो को लाँघकर ई-कॉमर्स का नियम-ढाँचा बना रहे हैं। खाड़ी में पाकिस्तान ने खुद को सऊदी अरब का सुरक्षा-प्रदाता बना लिया है, ठीक तब जब संयुक्त राज्य अमेरिका पीछे हट रहा है। हर मामले में 'ना' कहना सस्ता है; नतीजे को आकार देने में कहीं ज्यादा मेहनत लगती है।

3.1 TEPA का एक वर्ष पूरा होने पर भारत और स्विट्ज़रलैंड ने गतिशीलता तथा युवा पेशेवरों से जुड़े समझौते किए

मुद्दा द्विपक्षीय निवेश संधियाँ और मध्यस्थता (कड़ी 3) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी • बाज़ार और राज्य

अब तक की कहानी भारत अपनी निवेश संधियों को नए सिरे से लिख रहा है। संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल के साथ नई द्विपक्षीय निवेश संधियों (BIT) के बाद वित्त मंत्रालय ने संशोधित मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि मंत्रिमंडल को भेजी है, जिसमें कराधान को निवेशक-राज्य मध्यस्थता से बाहर रखा गया है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार, 5 अक्टूबर को स्विस् राष्ट्रपति गाय पारमेलिन से मुलाकात की। पारमेलिन तीन दिन की यात्रा पर हैं, जो भारत और चार देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (European Free Trade Association — EFTA) के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (Trade and Economic Partnership Agreement — TEPA) का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर हो रही है; यह समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू है। विदेश मंत्रालय के अनुसार पाँच समझौता-ज्ञापनों (MoU) और आशय-पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी MoU में पाँच वर्ष तक के बहु-प्रवेश वीज़ा, प्रति यात्रा छह माह तक ठहरने की अनुमति और एक वर्ष के नवीकरणीय छात्र परमिट का प्रावधान है। युवा पेशेवर समझौते के तहत प्रत्येक देश से प्रति वर्ष 300 लोग अस्थायी रोज़गार कर सकेंगे, और यह संख्या बढ़कर 500 “हो सकती” है। पारमेलिन चाहते हैं कि निवेश संरक्षण समझौता “शीघ्र” हो और बौद्धिक संपदा पर नतीजे मिलें।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

भारत पुरानी निवेश संधियाँ समाप्त कर 2015 का मॉडल अपनाता है → 16 वर्ष की वार्ता के बाद मार्च 2024 में हस्ताक्षरित TEPA शुल्क-कटौती के बदले निवेश-लक्ष्य का सौदा करता है → अक्टूबर 2025 में यह लागू होता है → गतिशीलता समझौते लोगों की आवाजाही की परत जोड़ते हैं → स्विट्ज़रलैंड निवेश संरक्षण और पेटेंट माँगता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. EFTA यूरोपीय संघ से बाहर चार देशों का मुक्त व्यापार समूह है — यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) की स्थापना 1960 में स्टॉकहोम अभिसमय से हुई; इसके सदस्य आइसलैंड, लिकटेन्स्टाइन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड हैं। नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेन्स्टाइन यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (European Economic Area) के माध्यम से यूरोपीय संघ के एकल बाज़ार से जुड़ते हैं; स्विट्ज़रलैंड नहीं जुड़ता।
2. TEPA भारत का पहला व्यापार समझौता है जिसमें निवेश-लक्ष्य लिखित रूप में शामिल है — TEPA पर 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षर हुए और यह 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ; यह किसी यूरोपीय समूह के साथ भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है। EFTA के देशों ने 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार का लक्ष्य रखने की प्रतिबद्धता जताई है। लक्ष्य न पूरा होने पर भारत परामर्श के बाद अपनी शुल्क-रियायतों को अस्थायी रूप से पुनर्संतुलित कर सकता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS2 और GS3 दोनों में ऐसे समझौतों को महत्व मिलता है जो व्यापार को निवेश और गतिशीलता से जोड़ते हैं — GS2 में “भारत और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा समझौते” आते हैं, और GS3 में “निवेश मॉडल”। TEPA दोनों में बैठता है, और इसका ढाँचा आगे दोहराया जा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के चार सदस्य हैं — आइसलैंड, लिकटेन्स्टाइन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड — जिनमें से कोई भी यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है।
- सेवाओं की आपूर्ति के लिए लोगों की अस्थायी आवाजाही WTO के सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते (GATS) के अंतर्गत मोड 4 कहलाती है।
- पेटेंट अधिनियम, 1970 (Patents Act, 1970) की धारा 3(d) ज्ञात पदार्थों के नए रूपों पर पेटेंट देने से रोकती है, जब तक कि वे बढ़ी हुई प्रभावकारिता न दिखाएँ।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. भारत के लिए गतिशीलता समझौते शुल्क-कटौती से अधिक मूल्यवान सिद्ध हो सकते हैं — भारत की अधिकांश औद्योगिक वस्तुओं पर स्विस् शुल्क पहले से ही कम थे, इसलिए निर्यातकों के लिए TEPA से बाज़ार-पहुँच का लाभ शुरू से ही सीमित था। भारत की असली ताकत उसका युवा, कुशल श्रमबल है, जबकि स्विट्ज़रलैंड का श्रम-बाज़ार बूढ़ा हो रहा है। फिर भी पैमाना छोटा है: द इंडियन एक्सप्रेस के एक संपादकीय लेख के अनुसार जर्मनी के 2022 के गतिशीलता

	समझौते में प्रति वर्ष 3,000 तक नौकरी-तलाशी बीजा मिलते हैं। 2. लेंस — बाज़ार और राज्य : 100 अरब डॉलर उन कंपनियों के लिए सरकारों का वादा है जिन्हें वे आदेश नहीं दे सकतीं — पार्लेमिन ने द इकोनॉमिक टाइम्स से कहा कि स्विस् निवेश “निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है” और उनकी सरकार केवल ढाँचागत परिस्थितियाँ तय करती है। EFTA की सरकारें किसी दवा-निर्माता को भारत में संयंत्र लगाने का आदेश नहीं दे सकतीं। समझदार अधिकारी इस लक्ष्य को गारंटी नहीं, बल्कि समीक्षा का मानदंड मानेगा, और उन बातों को ठीक करेगा जिन पर निवेशक प्रतिक्रिया देते हैं: अनुबंधों का प्रवर्तन, स्वीकृतियों की समय-सीमा और कर-निश्चितता। 3. निवेश संरक्षण और पेटेंट इस सौदे का अधूरा हिस्सा है — निवेश संरक्षण समझौता स्विस् कंपनियों को भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में ले जाने का अधिकार देगा, इसीलिए भारत उसे अपनी नई मॉडल संधि के दायरे में चाहता है; वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि यह प्रारूप मंत्रिमंडल की मंजूरी के करीब है। स्विस् दवा-निर्माताओं के लिए अधिक कड़े पेटेंट नियम भारत की जेनेरिक दवाओं पर दबाव डाल सकते हैं। भारत तेज़ पेटेंट प्रसंस्करण और बेहतर प्रवर्तन की पेशकश कर सकता है, पर उसे धारा 3(d) या अनिवार्य लाइसेंसिंग का सौदा नहीं करना चाहिए।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत-EFTA TEPA में बाज़ार-पहुँच के बदले निवेश की प्रतिबद्धता ली गई। परीक्षण कीजिए कि क्या यह मॉडल, जो अब श्रम-गतिशीलता तक बढ़ाया गया है, भारत के विकास-हितों की पूर्ति करता है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — मॉडल के हर भाग (शुल्क, निवेश, गतिशीलता, बौद्धिक संपदा) को परखें और निष्कर्ष पर पहुँचें। 2. भूमिका — TEPA निवेश और रोज़गार से जुड़ा पहला FTA है — 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर और 10 लाख रोज़गार; पहली वर्षगांठ पर गतिशीलता समझौते। 3. मुख्य भाग — शुल्क-कटौती निश्चित है, निवेश केवल लक्ष्य है, और गतिशीलता असली लाभ है — मूल्यवर्धन: पुनर्संतुलन का खंड; 300-500 अवसरों की तुलना जर्मनी के 2022 के प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी समझौते से करें। 4. मुख्य भाग — निवेश संरक्षण और बौद्धिक संपदा की माँगें नीतिगत स्वायत्तता की परीक्षा लेती हैं — धारा 3(d) और नई मॉडल BIT। प्रवाह-चित्र बनाएँ: शुल्क-कटौती → निवेश → रोज़गार, जिसमें गतिशीलता और बौद्धिक संपदा पार्श्व शाखाओं के रूप में हों। 5. निष्कर्ष — निवेश को मापें और भारत के अपने प्रारूप पर BIT करें — वार्षिक सार्वजनिक ट्रैकर और गतिशीलता के बड़े कोटे।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. वाणिज्य सचिव के रूप में आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि TEPA का निवेश-लक्ष्य केवल घोषित न हो, बल्कि उसकी निगरानी भी हो? दृष्टिकोण (Approach): मैं सबसे पहले EFTA के साथ यह तय करूँगा कि गणना में क्या आएगा: EFTA-स्थित कंपनियों की नई इक्विटी, जिसे पुनर्निवेशित आय और तीसरे देशों के रास्ते आए धन से अलग रखा जाए। क्षेत्र और राज्य के अनुसार वार्षिक संयुक्त स्कोरकार्ड से प्रगति की जाँच संभव होगी। सबसे अधिक प्रयास इच्छुक कंपनियों की बाधाएँ दूर करने में लगेगा; पुनर्संतुलन अंतिम उपाय रहेगा।

3.2 WTO ने भारत से कहा कि उसके महानिदेशक 66 सदस्यीय ई-कॉमर्स समझौते के निक्षेपागार बन सकते हैं

मुद्दा WTO and plurilateral deals (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित • रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी

अब तक की कहानी WTO के सदस्यों के समूहों ने ई-कॉमर्स और निवेश सुविधा पर आपस में समझौते किए हैं। भारत ने WTO के नियम-ढाँचे में उनके प्रवेश को यह कहते हुए रोका है कि वे सर्वसम्मति को दरकिनार करते हैं।

समाचार (THE NEWS) जिनेवा/नई दिल्ली। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization — WTO) ने भारत को बताया है कि उसके महानिदेशक (DG) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य समझौते (ECA) की अंतरिम व्यवस्थाओं के निक्षेपागार (depository) के रूप में कार्य कर सकते हैं — निक्षेपागार वह अधिकारी होता है जो किसी संधि पर देशों की स्वीकृतियाँ प्राप्त कर उन्हें दर्ज करता है। महानिदेशक ने लिखा कि “प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रकाश में देखने पर WTO समझौते में किसी स्पष्ट निषेध का न होना” इसका समर्थन करता है; यदि सदस्य इसे रोकना चाहते, तो “वे स्पष्ट रूप से ऐसा कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया।” भारत ने 8 जुलाई को परिचालित एक संचार में तर्क दिया था कि केवल 66 सदस्यों द्वारा समर्थित समझौता सर्वसम्मति को दरकिनार करता है। थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार ECA को अनुलग्नक 4 — बहुपक्षीय से भिन्न बहुपक्षकारीय (plurilateral) समझौतों की सूची — में रखने के प्रयास फ़रवरी और दिसंबर 2025 में विफल रहे, और उसके बाद मार्च 2026 में MC14 में 66 सदस्यों ने अंतरिम व्यवस्थाओं की घोषणा की।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

दोहा दौर ठप होता है → 2017 में MC11 में सदस्यों के समूह संयुक्त वक्तव्य पहल (Joint Statement Initiatives) शुरू करते हैं, जिनमें ई-कॉमर्स भी है → 66 सदस्य ECA को अंतिम रूप देते हैं, पर 2025 में उसे अनुलग्नक 4 में जोड़ने के प्रयास दो बार विफल होते हैं → MC14 में वे अंतरिम व्यवस्थाओं की घोषणा करते हैं → भारत सचिवालय की भूमिका को चुनौती देता है और महानिदेशक निक्षेपागार की शक्ति का दावा करते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. बहुपक्षकारीय समझौते WTO के नियम-ढाँचे में केवल सर्वसम्मति से जुड़ते हैं — विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करने वाले मराकेश समझौते (Marrakesh Agreement Establishing the WTO, 1994) के अंतर्गत अनुलग्नक 4 के समझौते केवल उन्हीं सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं जो उन्हें स्वीकार करते हैं (अनुच्छेद II:3), और अनुच्छेद X:9 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को किसी समझौते को “केवल सर्वसम्मति से” जोड़ने की अनुमति देता है। आज अनुलग्नक 4 में सरकारी खरीद पर समझौता और सिविल विमान व्यापार पर समझौता है। भारत सरकारी खरीद समझौते का पक्षकार नहीं, बल्कि पर्यवेक्षक है। 2. ई-कॉमर्स स्थगन ने 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण को शुल्क-मुक्त रखा — वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य पर 1998 की घोषणा में सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क न लगाने पर सहमति जताई और ई-कॉमर्स पर एक बहुपक्षीय कार्य-कार्यक्रम स्थापित किया। मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों ने इसका बार-बार नवीकरण किया, पर मार्च 2026 में याउंड़े में हुआ MC14 विस्तार पर सहमत नहीं हो सका, इसलिए बहुपक्षीय स्थगन समाप्त हो गया। भारत का तर्क रहा है कि इससे विकासशील देशों को शुल्क-राजस्व की हानि होती है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS2 में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संरचना और अधिदेश पर प्रश्न पूछे जाते हैं — “महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अभिकरण एवं मंच — उनकी संरचना, अधिदेश” वाली पंक्ति WTO सुधार को समेटती है, जिसकी केंद्रीय लड़ाई अब सर्वसम्मति बनाम बहुपक्षकारीय समझौते है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● मराकेश समझौते का अनुच्छेद X:9 किसी बहुपक्षकारीय समझौते को अनुलग्नक 4 में केवल मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की सर्वसम्मति से जोड़ने की अनुमति देता है। ● WTO समझौते के अनुलग्नक 4 में सरकारी खरीद पर समझौता और सिविल विमान व्यापार पर समझौता शामिल हैं। ● इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क के संबंध में WTO का स्थगन 1998 की वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य पर घोषणा से चला आ रहा है। ● ई-कॉमर्स पर संयुक्त वक्तव्य पहल 2017 में ब्यूनस आयर्स में हुए 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में शुरू की गई थी; भारत इसमें शामिल नहीं हुआ।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. विवाद ई-कॉमर्स का नहीं, बल्कि WTO के तंत्र पर नियंत्रण का है — सर्वसम्मति की व्यवस्था हर सदस्य को यह अधिकार देती है कि वह किसी बहुपक्षकारीय समझौते को WTO से बाहर रखे। यदि महानिदेशक और सचिवालय फिर भी उस समझौते की सेवा करते हैं, तो उसे सर्वसम्मति के बिना संस्था का अधिकांश सहयोग मिल जाता है। महानिदेशक का तर्क — जो निषिद्ध नहीं है, वह अनुमत है — इस सामान्य नियम को उलट देता है कि अंतर्राष्ट्रीय निकायों के पास केवल वही शक्तियाँ होती हैं जो सदस्य उन्हें देते हैं। प्रतिपक्ष का मत है: निक्षेपागार का काम केवल लिपिकीय है। 2. लेंस — राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा संपदा: ECA को रोकना नीतिगत स्वायत्तता बचाता है, पर नियम-निर्माण दूसरों पर छोड़ देता है — डेटा प्रवाह, ई-भुगतान और डिजिटल वस्तुओं पर शुल्क के नियम भारत के साथ या उसके बिना लिखे जाएँगे, और 66 सदस्यों में अधिकांश बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्थाएँ हैं। बाहर रहने से भारत अपनी डेटा और डिजिटल-कर नीति तय करने के लिए स्वतंत्र रहता है, पर तब भारतीय IT निर्यातकों को ऐसे नियमों के तहत काम करना होगा जिन्हें उन्होंने गढ़ा नहीं। विचारशील वार्ताकार प्रक्रिया पर आपत्ति रखते हुए भारत का अपना विकासोन्मुख प्रारूप भी प्रस्तुत करेगा। 3. सर्वसम्मति भारत की रक्षा करती है, पर WTO को अटकाए भी रखती है — अपीलीय निकाय दिसंबर 2019 से कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए अन्य सदस्य बहुपक्षकारीय समझौतों को आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता मानते हैं। एक बीच का रास्ता मौजूद है: 1996 का सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (ITA), जिसमें भारत शामिल हुआ, एक क्रांतिक-समूह (critical mass) समझौता था जिसकी शुल्क-कटौतियाँ सभी सदस्यों पर अत्यधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) के आधार पर लागू हुईं। गैर-सदस्यों को लाभ देने वाले खुले समझौते, अनुलग्नक 4 के बाहर चलने वाले बंद क्लबों की तुलना में कहीं कम खतरा पैदा करते हैं।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS)	“बहुपक्षकारीय समझौते WTO के आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता हैं।” ई-कॉमर्स समझौते पर भारत की आपत्ति के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

QUESTION)	
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — टिप्पणी कीजिए — दोनों पक्षों के प्रमाणों के साथ तर्कसंगत राय दें। 2. भूमिका — 66 सदस्यों ने ई-कॉमर्स समझौता बनाया, जो भारत के अनुसार सर्वसम्मति को दरकिनार करता है — महानिदेशक द्वारा उसका निक्षेपागार होने के दावे का उल्लेख करें। 3. मुख्य भाग — सर्वसम्मति विफल होने पर बहुपक्षकारीय समझौते नियम-निर्माण को गतिरोध से निकालते हैं — मूल्यवर्धन: ITA (1996) और सरकारी खरीद समझौता। 4. मुख्य भाग — अनुलग्नक 4 के बाहर वे अनुच्छेद X:9 को खोलकर देते हैं — दो रास्ते बनाएँ: सर्वसम्मति से अनुलग्नक 4 बनाम महानिदेशक के निक्षेपागार होने के साथ अंतरिम व्यवस्थाएँ। 5. निष्कर्ष — खुले, MFN-आधारित बहुपक्षकारीय समझौते जो सर्वसम्मति से अनुलग्नक 4 में प्रवेश करें — भारत को केवल रोकना नहीं, बल्कि नियमों को आकार भी देना चाहिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. WTO में भारत के राजदूत के रूप में आप ई-कॉमर्स समझौते का विरोध जारी रखेंगे या उसके भीतर स्थान लेने का प्रयास करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं प्रक्रियात्मक आपत्ति को अभिलेख में बनाए रखूँगा, क्योंकि अनुलग्नक 4 के बाहर निक्षेपागार को स्वीकार करना सर्वसम्मति के हर भावी प्रयोग को कमजोर करेगा। साथ ही, मैं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रिज़र्व बैंक और उद्योग के साथ मिलकर सूची बनाऊँगा कि कौन-से प्रावधान भारत स्वीकार कर सकता है और कौन-से, जैसे डेटा का अप्रतिबंधित प्रवाह, नहीं। इससे भारत के विकल्प खुले रहते हैं।

3.3 पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने मक्का रक्षा समझौते के तहत सेनाएँ तैनात करने की ओर क़दम बढ़ाए

मुद्दा पाकिस्तान: तनाव और संपर्क (कड़ी 5) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी • राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित

अब तक की कहानी अरब सागर में पाकिस्तान नौसेना का एक कावेंट भारतीय युद्धपोत से टकरा गया, और पाकिस्तान ने एक अमेरिकी कंपनी के साथ ड्रोन सौदे किए। फिर भी भारत ने अपने SCO समन्वयक को इस्तामबाद भेजा, जो लगभग दो वर्षों में ऐसी पहली यात्रा थी।

समाचार (THE NEWS) रियाद। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने सोमवार, 5 अक्टूबर को मक्का रक्षा गठबंधन की आपात बैठक में अपनी सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धताओं को तुरंत लागू करने और सऊदी अरब में सहमत बलों तथा क्षमताओं की “त्वरित तैनाती” सुनिश्चित करने पर सहमति जताई; यह तैनाती “अनुमोदित व्यवस्थाओं” और प्रत्येक देश के कानूनों के अधीन होगी, ऐसा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा साझा संयुक्त वक्तव्य में कहा गया (रायटर्स, द हिंदू में)। तीनों देशों ने अगस्त में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे; इसके अंतर्गत किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला सभी पर हमला माना जाएगा, जो सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है। सऊदी रक्षा मंत्री ने “राज्य और पवित्र स्थलों पर घृणित हमलों” का हवाला दिया। इसका तात्कालिक कारण यमन है: पिछले माह ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों ने बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के आसपास के क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा कर लिया और सऊदी शहरों पर मिसाइलें तथा ड्रोन दागे हैं।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

अमेरिका-इज़राइल का ईरान पर युद्ध सऊदी-हूती संघर्ष को फिर भड़का देता है → अमेरिका इराक़ और सीरिया छोड़कर सहयोगियों की नहीं, समुद्री मार्गों की रक्षा करता है → खाड़ी देश नए गारंटर खोजते हैं: सऊदी-पाकिस्तान समझौता, फिर अगस्त में मक्का समझौता → हूती बाब अल-मंदेब में ज़मीन हथिया लेते हैं → गठबंधन सेनाएँ तैनात करने की ओर बढ़ता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. सामूहिक रक्षा का आधार संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 है — अनुच्छेद 51 सशस्त्र हमले की स्थिति में, सुरक्षा परिषद के कार्रवाई करने तक, “व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के निहित अधिकार” को मान्यता देता है। NATO का अनुच्छेद 5 (1949) “एक पर हमला सब पर हमला” वाला सबसे प्रसिद्ध खंड है, फिर भी वह हर सदस्य को “ऐसी कार्रवाई जिसे वह आवश्यक समझे” करने की छूट देता है, इसलिए शब्दावली तय करती है कि कोई प्रतिज्ञा कितनी स्वचालित है। 2. भारत और सऊदी अरब अपनी सामरिक साझेदारी शिखर-स्तरीय परिषद के माध्यम से चलाते हैं — 2010 की रियाद घोषणा ने संबंधों को सामरिक साझेदारी का रूप दिया। 2019 में गठित सामरिक साझेदारी परिषद (Strategic Partnership Council), जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस करते हैं, दो मंत्रिस्तरीय समितियों (राजनीतिक-सुरक्षा; अर्थव्यवस्था और निवेश) से शुरू हुई और अप्रैल 2025 में इसे चार तक बढ़ाया गया, जिनमें रक्षा तथा पर्यटन-संस्कृति जोड़ी गई। सऊदी अरब भारत का प्रमुख कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES)	1. GS2 में पूछा जाता है कि अन्य देशों की नीतियाँ भारत और उसके प्रवासियों को कैसे प्रभावित करती हैं — “विकसित और विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का भारत के हितों,

THIS — TREND)	भारतीय प्रवासियों पर प्रभाव” वाली पंक्ति ऐसे खाड़ी गठबंधन पर लागू होती है जिसमें पाकिस्तान शामिल है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 सशस्त्र हमले की स्थिति में, सुरक्षा परिषद के कार्रवाई करने तक, व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के निहित अधिकार को मान्यता देता है। ● बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है, और यह यमन तथा जिबूती व इरिट्रिया के बीच स्थित है। ● पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) के सदस्य हैं, जिसका मुख्यालय जेद्दा में है; भारत इसका सदस्य नहीं है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. पाकिस्तान खाड़ी को सुरक्षा बेच रहा है, और इससे रियाद की नज़र में उसका मूल्य बढ़ता है — पाकिस्तान खाड़ी में भारत के आर्थिक वज़न की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए वह तैनाती के लिए तैयार सैनिकों की पेशकश करता है। शब्दशः पढ़ें तो यह समझौता पाकिस्तान पर हमले को सऊदी अरब पर हमला बना देता है। प्रतिपक्ष का तर्क मज़बूत है: रियाद के पास भारत के साथ युद्ध से दूर रहने के हर कारण हैं, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि भारत की नवीनतम निवेश संधि सऊदी अरब के साथ है। 2. लेंस — सामरिक स्वायत्तता और साझेदारी: किसी खेमे में शामिल हुए बिना खाड़ी से संबंध गहरे करें — भारत सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इज़राइल और ईरान, सबके साथ एक साथ काम करता है, और यही संतुलन पश्चिम एशिया में उसकी मुख्य पूँजी है। सुरक्षा से पूरी तरह दूर रहने पर पाकिस्तान खाड़ी का एकमात्र दक्षिण एशियाई सुरक्षा-साझेदार रह जाएगा। समझदारी भरा रास्ता यह है कि रियाद के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाया जाए, जैसे अभ्यास और सह-उत्पादन, ताकि समझौता हतियारों की ओर ही केंद्रित रहे, जबकि भारत यमन में किसी का पक्ष लेने से बचे। 3. यह समझौता अमेरिका के पीछे हटने का लक्षण है, और इससे भारत के समुद्री मार्ग जोखिम में पड़ते हैं — द इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व पुलिस प्रमुख अंजू गुप्ता का तर्क है कि क्षतिग्रस्त ठिकानों और घटे हुए गोला-बारूद ने वाशिंगटन को सहयोगियों की रक्षा करने के बजाय समुद्री मार्गों की रखवाली की ओर धकेला है। भारत के लिए तेल और यूरोप जाने वाले कंटेनर बाब अल-मंदेब से गुज़रते हैं, और बहुत से भारतीय उन सऊदी शहरों में काम करते हैं जिन्हें हतियारों ने निशाना बनाया है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पीछे हटते संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध खाड़ी देशों की जोखिम-रोधी रणनीति को दर्शाता है। भारत की पश्चिम एशिया नीति के लिए इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — विश्लेषण कीजिए — समझौते के कारणों को भारत पर उसके प्रभावों से अलग करें और दोनों को जोड़ें। 2. भूमिका — पाकिस्तान सहित तीन देशों का रक्षा समझौता अब सऊदी भूमि पर सक्रिय है — अगस्त का समझौता और सोमवार का त्वरित तैनाती का निर्णय। 3. मुख्य भाग — कारण अमेरिका द्वारा छोड़ा गया सुरक्षा-शून्य है — इराक से वापसी और समुद्री मार्गों पर ध्यान (अंजू गुप्ता); मूल्यवर्धन: NATO का अनुच्छेद 5। 4. मुख्य भाग — पाकिस्तान का मूल्य बढ़ता है, पर भारत में सऊदी हित उसकी सीमा तय करते हैं, जबकि भारत का जोखिम ऊर्जा, नौवहन और प्रवासियों में है — बाब अल-मंदेब और लाल सागर का मानचित्र बनाएँ, जिसमें तेल और भारतीय कामगारों के लिए तीर हों। 5. निष्कर्ष — हर खाड़ी राजधानी से, रक्षा सहित, द्विपक्षीय संपर्क रखें और किसी खेमे में शामिल न हों — निकासी योजनाएँ तैयार रखें।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (खाड़ी) के रूप में, यदि यमन युद्ध फैलता है तो आप सऊदी अरब में रह रहे भारतीयों के लिए अभी क्या व्यवस्था करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं दूतावास से कहूँगा कि वह भारतीय कामगारों का पंजीकरण शहर-वार अद्यतन करे। 2015 में यमन में चलाए गए ऑपरेशन राहत के अनुभव के आधार पर नौसेना, एयर इंडिया और नौवहन महानिदेशालय के साथ समुद्री और हवाई निकासी मार्ग तय किए जाएंगे। आपातकालीन यात्रा के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष को पहले से स्वीकृत कर लिया जाएगा।

4. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

दोनों खबरें ऐसी चीजों से जुड़ी हैं जिनकी भरपाई भारत आसानी से नहीं कर सकता: एक द्वीपीय वर्षावन में बसी जनजाति की जीवन-शैली, और 1952 में खो चुका एक बड़ा बिल्ली-कुल का जीव। ग्रेट निकोबार में सर्वोच्च न्यायालय ने “रणनीतिक महत्व” के नाम पर सुनवाई शुरू होने से पहले ही उसे बंद नहीं होने दिया। कूनों में चीतों की संख्या स्वस्थ दिखती है, पर असली कसौटी जन्म नहीं, बल्कि आनुवंशिक विविधता और जंगल में जीवित रहने की क्षमता है। दोनों मामलों में सफलता की ईमानदार परीक्षा सुखी बनने के वर्षों बाद होती है।

4.1 सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेट निकोबार मामले में रोक से इनकार किया: संस्कृति “संवैधानिक रूप से संरक्षित मूल अधिकार” है

मुद्दा ग्रेट निकोबार परियोजना और जनजातीय अधिकार (कडी 2) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण • परंपरा और सामाजिक न्याय

अब तक की कहानी शोम्पेन और निकोबारी भूमि पर प्रस्तावित ग्रेट निकोबार बंदरगाह, हवाई अड्डा और टाउनशिप परियोजना को कलकत्ता उच्च न्यायालय में ग्राम सभा की सहमति, घटाए गए उद्यान-बफ़र और वन-अधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर चुनौती दी गई है; याचिकाकर्ता की वाद-योग्यता (स्टैंडिंग) मई में स्वीकार की गई थी।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 5 अक्टूबर। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी थे, सोमवार को केंद्र की उस याचिका को ठुकरा दिया जिसकी रिपोर्ट यहाँ 30 सितंबर को दी गई थी और जिसमें ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक लगाने की माँग की गई थी। पीठ ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह अपनी तय तिथियों, 25 और 26 नवंबर, को ही फैसला करे। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने, विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार ₹72,000-81,000 करोड़ की इस परियोजना को “अत्यधिक” रणनीतिक महत्व की बताया, कहा कि शोम्पेन के लिए “आवास की कोई हानि नहीं” है और तर्क दिया कि जनजातियाँ “मुख्यधारा में समाहित” हैं। न्यायमूर्ति बागची ने राज्य की सुरक्षा और वाणिज्यिक हितों के बीच “कुछ हद तक छूटाई” की आवश्यकता बताई: “संस्कृति का संरक्षण संवैधानिक रूप से संरक्षित मूल अधिकार है।” याचिकाकर्ता मीना गुप्ता, जो केंद्र की पूर्व पर्यावरण सचिव हैं, का आरोप है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act) का उल्लंघन हुआ है; उनके अधिवक्ता ने बताया कि अब जनजातीय परिषदों को भी पक्षकार बनाया जा चुका है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

पीआईबी की पृष्ठभूमि-टिप्पणी के अनुसार 166.10 वर्ग किमी में बंदरगाह, हवाई अड्डा, बिजली संयंत्र और टाउनशिप की योजना → शर्तों के साथ मंजूरी; अप्रैल 2023 में एनजीटी ने पुनर्विचार अस्वीकार किया → वन अधिकार और सहमति पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका → मई में उच्च न्यायालय ने वाद-योग्यता की आपत्ति खारिज की → सर्वोच्च न्यायालय का रोक से इनकार

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. अनुच्छेद 29(1) नागरिकों के किसी भी वर्ग की संस्कृति की रक्षा करता है — अनुच्छेद 29(1) नागरिकों के ऐसे किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार देता है; इसका पाठ केवल धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, इसलिए किसी जनजाति की जीवन-शैली भी इसके दायरे में आती है। नियमगिरि मामले, Orissa Mining Corporation v. Ministry of Environment and Forests (2013), में सर्वोच्च न्यायालय ने खनन का निर्णय प्रभावित ग्राम सभाओं पर छोड़ दिया था।
2. शोम्पेन एक PVTG हैं, जिन्हें 1956 के विनियम और वन अधिकार अधिनियम का संरक्षण प्राप्त है — पीआईबी के अनुसार लगभग 237 शिकारी-संग्राहकों वाले शोम्पेन भारत के 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups — PVTG) में से एक हैं। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जनजाति संरक्षण) विनियम, 1956 (Andaman and Nicobar Islands (Protection of Aboriginal Tribes) Regulation) जनजातीय आरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाता है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 ग्राम सभा को वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया शुरू करने वाला प्राधिकार बनाता है और मान्यता पूरी होने तक बेदखली पर रोक लगाता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. एक परियोजना, पाठ्यक्रम की दो पंक्तियों की कसौटी — सामान्य अध्ययन-3 में “संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन” शामिल है; सामान्य अध्ययन-2 में “इन कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा और बेहतरी के लिए” गठित कानून और निकाय आते हैं। ग्रेट निकोबार दोनों का जीवंत उदाहरण है।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- अनुच्छेद 29(1): नागरिकों के किसी भी ऐसे वर्ग को, जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है।
- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पाँच PVTG हैं: ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे, सेंटिनलीज़ और शोम्पेन।
- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (आदिम जनजाति संरक्षण) विनियम, 1956 अनुच्छेद

	240 के अंतर्गत बनाया गया था। ● वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया ग्राम सभा शुरू करती है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. पीठ ने मामले को “कौन मुकदमा कर सकता है” से हटाकर “दाँव पर क्या है” पर ला दिया है — केंद्र महीनों तक याचिका की ग्राह्यता पर लड़ता रहा और कहता रहा कि कोई बाहरी व्यक्ति अनुपस्थित जनजातियों की ओर से नहीं बोल सकता। जनजातीय परिषदों को पक्षकार बनाए जाने के बाद यह आपत्ति कमजोर पड़ गई, इसलिए नवंबर की सुनवाई सहमति, वन अधिकार और संस्कृति पर टिकेगी। प्रतिपक्ष का तर्क: रणनीतिक परियोजनाओं पर न्यायालय प्रायः सरकार के निर्णय का सम्मान करते हैं, और देरी से लागत बढ़ती है। 2. दृष्टि — विकास और पर्यावरण: “रणनीतिक” शब्द ऐसा पासवर्ड नहीं बन सकता जो जाँच-पड़ताल खत्म कर दे — “छूँटाई” का अर्थ यह पूछना है कि कौन-से हिस्से रक्षा के काम आते हैं और कौन-से वाणिज्यिक हैं। 1.42 करोड़ TEU क्षमता वाला पारगमन टर्मिनल और एक टाउनशिप मुख्यतः वाणिज्यिक हैं। पीआईबी के अनुसार 7.11 लाख तक पेड़ कट सकते हैं, जबकि प्रतिपूरक वनीकरण हरियाणा में है, जो द्वीप के वर्षावन की जगह नहीं ले सकता। एक विवेकशील अधिकारी रक्षा संबंधी परिसंपत्तियों को तेज़ी से आगे बढ़ाएगा और वाणिज्यिक मूल हिस्से की पूरी, समयबद्ध जाँच कराएगा। 3. “मुख्यधारा में समाहित” होना अतीत का वर्णन है; यह भविष्य के बारे में सहमति का विकल्प नहीं हो सकता — अटॉर्नी जनरल का तर्क यह संकेत देता है कि जनजातियों की संस्कृति को किसी विशेष कवच की ज़रूरत नहीं है। न्यायमूर्ति बागची का प्रतिउदाहरण, ग्रेट अंडमानी, सचमुच मुख्यधारा में घुल-मिल गए और बहुत छोटे समुदाय के रूप में बचे रहे। अनुच्छेद 29(1) के अंतर्गत विशिष्ट पहचान बनाए रखना लोगों का अपना चुनाव है, ऐसी हैसियत नहीं जिसे राज्य प्रमाणित करे।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“संस्कृति का संरक्षण संवैधानिक रूप से संरक्षित मूल अधिकार है।” ग्रेट निकोबार परियोजना के आलोक में परीक्षण कीजिए कि भारत को रणनीतिक अवसंरचना और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के अधिकारों के बीच किस प्रकार सामंजस्य बैठाना चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — सुरक्षा की आवश्यकता को जनजातीय अधिकारों के सामने तौलिए; संतुलन तक पहुँचिए। 2. भूमिका — सर्वोच्च न्यायालय ने रोक से इनकार किया और संस्कृति को मूल अधिकार कहा — शोम्पेन और नवंबर की सुनवाई का उल्लेख कीजिए। 3. रणनीतिक आवश्यकता हर घटक पर लागू नहीं होती — रक्षा संबंधी परिसंपत्तियों को वाणिज्यिक बंदरगाह और टाउनशिप से अलग कीजिए। 4. सहमति के नियम कानून में पहले से तय हैं — अनुच्छेद 29(1), 1956 का विनियम, वन अधिकार अधिनियम; मूल्य-संवर्धन: नियमगिरि (2013)। 5. पारिस्थितिक क्षति की भरपाई हरियाणा में नहीं हो सकती — प्रवाह-चित्र बनाइए: मंजूरी → वन अधिकार अधिनियम प्रमाणपत्र → ग्राम सभा की सहमति → न्यायिक समीक्षा। 6. निष्कर्ष — सहमति के साथ निर्माण कीजिए, उसे दरकिनार करके नहीं — वाणिज्यिक मूल हिस्से को चरणबद्ध कीजिए; निगरानी रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य सचिव के रूप में आप नवंबर की सुनवाई की तैयारी कैसे करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं जाँचूंगा कि हर ग्राम सभा का प्रस्ताव ऐसी भाषा और ऐसे माहौल में पारित हुआ हो जिसे समुदाय समझता था, और उसका रिकॉर्ड मौजूद हो। शोम्पेन के मामले में मैं उनकी जनजातीय परिषद और मानवविज्ञानियों के माध्यम से हुए परामर्श का दस्तावेज़ तैयार कराऊंगा। मैं न्यायालय के सामने रक्षा संबंधी और वाणिज्यिक हिस्सों का स्पष्ट विभाजन रखूंगा। आक्रामक रुख से अधिक ईमानदार रिकॉर्ड बेहतर बचाव करता है।

4.2 कूनों में पाँच शावकों से बोत्सवाना वंशावली की शुरुआत; भारत में चीतों की संख्या 60 हुई

मुद्दा प्रजाति पुनर्प्राप्ति और बंदी प्रजनन (कडी 2) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण • नवाचार और सुरक्षा उपाय

अब तक की कहानी भारत में प्रजाति-पुनर्प्राप्ति का काम दो पटरियों पर चल रहा है: बंदी-प्रजनन से तैयार गोडावण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड), जिनकी संख्या जंगल में लगभग 140 बची है, डेज़र्ट नेशनल पार्क में छोड़े जा रहे हैं, जबकि प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 2022 में नामीबिया से लाए गए आठ चीतों के साथ हुई थी।

समाचार (THE NEWS) भोपाल, 5 अक्टूबर। भारत में जन्मी 32 महीने की मादा चीता KJP21 ने सोमवार को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पाँच शावकों को जन्म दिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार इनका पिता बोत्सवाना से आया था, इसलिए ये भारत में जन्मे पहले बोत्सवाना-वंशावली के चीते हैं। भारत में अब 60 चीते हैं, जिनमें 41 देश में ही जन्मे हैं। KJP21 प्रजनन करने वाली तीसरी भारत-जन्मी मादा है; इससे पहले मुखी और KGP12 ने प्रजनन किया था, जिसने पिछले महीने चार शावकों को जन्म दिया। फ़रवरी 2026 में नौ बोत्सवाना चीते, छह मादा और तीन नर, कूनो पहुँचे; इससे पहले नामीबिया से आठ (2022) और दक्षिण अफ्रीका से 12 (2023) चीते लाए जा चुके थे। बातचीत दिसंबर 2024 में शुरू हुई थी; भारत की चीता पुनःप्रवेश कार्य-योजना (Action Plan for Cheetah Reintroduction) का अध्ययन करने के बाद बोत्सवाना सहमत हुआ, और स्थानांतरण के लिए CITES के निर्यात परमिट आवश्यक थे। नई वंशावली का अर्थ है किसी भिन्न स्रोत-आबादी से वंश-परंपरा, जिससे जीन-पूल का दायरा बढ़ता है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1952 में भारत में चीता विलुप्त घोषित → नामीबियाई और दक्षिण अफ्रीकी संस्थापक चीते (2022–23) → सीमित संस्थापक आबादी से भारत-जन्मी पीढ़ियाँ → नौ बोत्सवाना चीते पहुँचे (फ़रवरी 2026) → बोत्सवाना-वंशावली के पहले शावक; संख्या 60 तक पहुँची

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. प्रोजेक्ट चीता एक अंतर-महाद्वीपीय पुनःप्रवेश कार्यक्रम है, जिसे NTCA चलाता है — प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आठ नामीबियाई चीते छोड़ने के साथ हुई। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority — NTCA), जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wild Life (Protection) Act) के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर लागू करता है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, जो मध्य प्रदेश में ही है, दूसरा स्थल है। 2. चीता वैश्विक स्तर पर संवेदनशील श्रेणी में है और 1952 में भारत से लुप्त हो गया — IUCN की रेड लिस्ट चीते को संवेदनशील (Vulnerable) श्रेणी में रखती है; एशियाई उप-प्रजाति, जो केवल ईरान में बची है, अति संकटग्रस्त (Critically Endangered) है। चीता CITES की परिशिष्ट I में है, इसलिए किसी भी सीमा-पार स्थानांतरण के लिए निर्यात और आयात परमिट चाहिए। भारत ने इसे 1952 में विलुप्त घोषित किया था।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. पुनःप्रवेश संरक्षण का तैयार उदाहरण है — सामान्य अध्ययन-3 में “संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण” शामिल है। प्रोजेक्ट चीता के सहारे एक ही उत्तर में स्थानांतरण, आनुवंशिक विविधता, आवास-क्षमता और संरक्षण-कूटनीति, चारों को समेटा जा सकता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो प्रोजेक्ट चीता का पहला स्थल है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ● प्रोजेक्ट चीता को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण लागू करता है, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। ● चीता IUCN की रेड लिस्ट में संवेदनशील श्रेणी में और CITES की परिशिष्ट I में सूचीबद्ध है; एशियाई चीता अति संकटग्रस्त है। ● चीते भारत में नामीबिया (2022), दक्षिण अफ्रीका (2023) और बोत्सवाना (2026) से आए।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. साठ चीते एक गिनती भर हैं; असली पैमाना आनुवंशिक विविधता है — भारत में जन्मे 41 चीते कुछ दर्जन संस्थापकों की संतान हैं, इसलिए आगे चलकर रिश्तेदार आपस में प्रजनन करेंगे, और अंतःप्रजनन से जीवित रहने की दर और प्रजनन-क्षमता घटती है। इसी कारण बोत्सवाना की वंशावली पाँच अतिरिक्त पशुओं से कहीं अधिक मायने रखती है। जन्म पुनर्प्राप्ति का आसान आधा हिस्सा भी है; वयस्कों का जीवित रहना और जंगल में प्रजनन असली परीक्षा है। 2. दृष्टि — नवाचार और सुरक्षा-उपाय: पुनःप्रवेश एक प्रयोग है जिसे सीखते रहना होगा — किसी भी देश ने लुप्त प्रजाति को लौटाने के लिए बड़े माँसाहारी जीव को महाद्वीपों के पार नहीं पहुँचाया था, इसलिए क्वारंटीन, कॉलर लगाने और छोड़ने की प्रक्रियाएँ वास्तविक समय में परखी जा रही हैं। सुरक्षा-उपायों में कार्य-योजना, पशु-चिकित्सकीय जाँच, CITES परमिट और बोत्सवाना दल का कूनो तथा गांधी सागर का दौरा शामिल हैं। एक सावधान अधिकारी मृत्यु-दर के आँकड़े खुलकर प्रकाशित करेगा, क्योंकि जो प्रयोग अपनी विफलताएँ छिपाता है, वह उन्हें सुधार नहीं सकता। 3. संरक्षण-कूटनीति मदद करती है, पर निर्भरता एक जोखिम है — राष्ट्रपति मुर्मू की नवंबर 2025 की बोत्सवाना यात्रा ने इस स्थानांतरण को राजनीतिक बल दिया। फिर भी चार वर्षों में तीन स्रोत-देशों से चीते लाने का अर्थ है कि परियोजना को टिके रहने के लिए अब भी आयात की ज़रूरत है। जब तक भारत में जन्मे पशु नए संस्थापकों के बिना नहीं बढ़ते, यह एक प्रबंधित आबादी है, पुनर्स्थापित प्रजाति नहीं।

संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	कूनो में बोत्सवाना-वंशावली के पहले जन्मों के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए कि क्या प्रोजेक्ट चीता स्थानांतरण से आत्मनिर्भर आबादी की ओर बढ़ रहा है। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — मूल्यांकन कीजिए — स्पष्ट मानदंडों पर प्रगति को परखिए और निष्कर्ष दीजिए। 2. भूमिका — 60 चीते, 41 भारत-जन्मे, एक नई वंशावली — 2022 से प्रोजेक्ट चीता पर एक पंक्ति। 3. प्रजनन और नई वंशालियाँ प्रगति दिखाती हैं — तीन भारत-जन्मी मादाओं ने प्रजनन किया है; समय-रेखा बनाइए: नामीबिया 2022 → दक्षिण अफ्रीका 2023 → बोत्सवाना 2026। 4. आत्मनिर्भर का अर्थ है आयात के बिना जंगल में जीवित रहना — मूल्य-संवर्धन: IUCN की संवेदनशील श्रेणी; अंतःप्रजनन और आवास की सीमाएँ बनी हुई हैं। 5. निष्कर्ष — आशाजनक, पर अभी आत्मनिर्भर नहीं — वयस्कों के जीवित रहने और गांधी सागर तक प्रसार को मापिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. कूनो के फ़ील्ड डायरेक्टर के रूप में, ग्रामीण कहते हैं कि एक चीते ने उनकी बकरियाँ मार दीं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं मुआवज़ा शीघ्र दूँगा, क्योंकि देरी सहनशीलता को शत्रुता में बदल देती है। मैं कॉलर-अलर्ट गाँव के स्वयंसेवकों से साझा करूँगा ताकि चरवाहे समय रहते पशुओं को हटा सकें, और ग्रामीणों को ट्रैकर के रूप में रखूँगा ताकि चीता उनके लिए नुकसान के साथ आमदनी भी लाए। स्थानीय सद्भावना वह आवास है जिसकी जगह कोई बाड़ नहीं ले सकती।

5. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

आज की खबर इस बात की ओर इशारा करती है कि राज्य को पता होना चाहिए कि वह क्या शासित कर रहा है, यानी नस में लगने वाला इंजेक्शन कौन बनाता है। संविधान ने दवा लाइसेंसिंग का मुख्य भार राज्यों को सौंपा है, जबकि जोखिम हर सीमा को पार कर जाता है। समाधान केंद्र और राज्यों के बीच किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि केंद्र को मानक और राज्यों को साधन देना है, और अब अदालतें दोनों ओर से यही दबाव बना रही हैं।

5.1 न्यायालयों द्वारा सीडीएससीओ (CDSCO) निरीक्षकों की शक्तियाँ सीमित किए जाने के बाद केंद्र सभी निर्जर्म (स्टेराइल) दवाओं के केंद्रीय लाइसेंस पर विचार कर रहा है

मुद्दा नकली दवाएँ और औषधि नियामक सुधार (कडी 5) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य - नवाचार और सुरक्षा उपाय

अब तक की कहानी पुलिस ने कैसर और एंटीबायोटिक के नकली इंजेक्शनों का सुराग 90 से अधिक अस्पतालों तक लगाया, और दिल्ली में रेबीज़ टीके की 481 नकली इकाइयाँ ज्वल की गईं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने निर्जर्म दवाओं के लाइसेंस के केंद्रीकरण का प्रस्ताव रखा; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने क्यूआर कोड से ट्रैक-एंड-ट्रेस सहित राष्ट्रीय औषधि पंजीकरण की माँग की।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार सभी निर्जर्म औषधि उत्पादों को केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण (Central Licence Approving Authority — CLAA) योजना के अंतर्गत लाने से पहले कानूनी राय पर विचार कर रही है। ET के अनुसार, केंद्र और राज्यों को सलाह देने वाली औषधि परामर्शदात्री समिति (Drugs Consultative Committee) ने हाल की एक बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की और व्यवहार्यता की जाँच के लिए एक उप-समिति गठित करने की सिफारिश की। ET के अनुसार, इसका तात्कालिक कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 22 जून के उस फैसले के विरुद्ध केंद्र की चुनौती को खारिज करना है, जिसमें कहा गया था कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (Drugs and Cosmetics Act) के अध्याय IV, जो निर्माण, बिक्री और वितरण को नियंत्रित करता है, के अंतर्गत CDSCO के औषधि निरीक्षक के पास स्वतंत्र प्रवर्तन शक्ति नहीं है; वहाँ कार्यकारी शक्तियाँ “सामान्यतः राज्य सरकार में निहित” हैं। CLAA अभी केवल बड़ी मात्रा वाले पैरेंटरल (नसों में चढ़ाए जाने वाले बड़े तरल पदार्थ के बैग), सीरम और टीके, रीकॉम्बिनेंट डीएनए, कोशिका एवं जीन चिकित्सा उत्पाद तथा ज़ीनोग्राफ्ट को कवर करता है। छोटी मात्रा वाले इंजेक्शनों और आई ड्रॉप्स को राज्य लाइसेंस देते हैं, जिस ढाँचे को प्रस्ताव खंडित बताता है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1940 का अधिनियम अधिकांश विनिर्माण लाइसेंस राज्यों पर छोड़ता है → CLAA केवल कुछ उच्च जोखिम वाली श्रेणियों को कवर करता है → दूषित और नकली इंजेक्शन राज्यों के असमान निरीक्षण को उजागर करते हैं → न्यायालय अध्याय IV के अंतर्गत CDSCO का प्रवर्तन सीमित कर देते हैं → केंद्र सभी निर्जर्म दवाओं के केंद्रीय लाइसेंस पर विचार करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS
LINKAGE)

1. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 औषधि नियंत्रण को केंद्र और राज्यों में बाँटता है — ‘औषधियाँ और विष’ समवर्ती सूची की प्रविष्टि 19 है। भारत के औषधि महानियंत्रक (Drugs Controller General of India) की अध्यक्षता वाला केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन नई दवाओं और क्लिनिकल परीक्षणों को स्वीकृति देता है तथा आयात का विनियमन करता है; विनिर्माण और बिक्री के लाइसेंस राज्य की लाइसेंसिंग प्राधिकारी देते हैं। औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (धारा 5) तकनीकी मामलों पर सलाह देता है और औषधि परामर्शदात्री समिति (धारा 7) प्रशासन में एकरूपता सुनिश्चित करती है।
2. संशोधित अनुसूची M आधुनिक विनिर्माण मानक तय करती है — औषधि नियम, 1945 की अनुसूची M उत्तम विनिर्माण पद्धतियाँ (Good Manufacturing Practices) निर्धारित करती है। दिसंबर 2023 में अधिसूचित संशोधित अनुसूची M ने फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता प्रणाली और गुणवत्ता जोखिम प्रबंधन को अनिवार्य बनाकर भारतीय मानकों को WHO-GMP के अधिक निकट पहुँचाया, और छोटी इकाइयों को अनुपालन के लिए अधिक समय दिया।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. दवा की गुणवत्ता स्वास्थ्य शासन की कसौटी है — GS2 के पाठ्यक्रम में “स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे” शामिल हैं। रोगी सुरक्षा, न्यायालय का फैसला और केंद्र-राज्य शक्तियाँ, तीनों मिलकर शासन का एक तैयार उदाहरण बनाते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य
(PRELIMS NUGGETS)

- ‘औषधियाँ और विष’ समवर्ती सूची की प्रविष्टि 19 है।
- औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड का गठन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 5 के अंतर्गत और औषधि परामर्शदात्री समिति का गठन धारा 7 के अंतर्गत होता है।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का अध्याय IV औषधियों और प्रसाधन सामग्री के निर्माण, बिक्री और वितरण से संबंधित है।
- औषधि नियम, 1945 की अनुसूची M फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए उत्तम विनिर्माण पद्धतियाँ निर्धारित करती है।

विश्लेषण (ANALYSIS)	1. केंद्र के पास शक्ति से अधिक ज़िम्मेदारी है, और नया नियम इस खाई को नहीं भर सकता — उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम केंद्र को केवल धारा 26A, 26B और 33P जैसे सूचीबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत ही अभियोजन की अनुमति देता है। केंद्रीय लाइसेंस से केवल यह बदलेगा कि लाइसेंस कौन स्वीकृत करता है, जबकि निरीक्षण और अभियोजन बहुत हद तक राज्यों के पास ही रहेंगे। इसीलिए पहले कानूनी राय ली जा रही है: औषधि नियमों में संशोधन पर्याप्त न हो और अधिनियम में ही बदलाव करना पड़े, यह संभव है। प्रवर्तन के बिना केवल अनुमोदन का केंद्रीकरण काराग़ी कार्रवाई बढ़ाता है, सुरक्षा नहीं। 2. लेंस — केंद्र और राज्य: उच्च जोखिम वाली दवाओं के लिए एक मानक, प्रवर्तन साझा — एक राज्य में बना इंजेक्शन हर जगह के अस्पतालों में पहुँचता है, इसलिए कहीं भी कमज़ोर निरीक्षण राष्ट्रीय जोखिम बन जाता है; यह एक मानक के पक्ष में तर्क है। परंतु CDSCO के पास राज्य नियामकों की जगह लेने लायक निरीक्षक नहीं हैं, और राज्य नियामक अपनी इकाइयों को बेहतर जानते हैं। विवेकपूर्ण निष्कर्ष यह है कि निर्जर्म उत्पादों के लिए केंद्रीय लाइसेंस, संयुक्त निरीक्षण और अनुत्तीर्ण नमूनों का साझा डेटाबेस हो, पूरा अधिग्रहण नहीं। 3. निर्जर्म उत्पाद जोखिम-आधारित विनियमन के हक़दार हैं — गोली को पेट की प्राकृतिक सुरक्षा का सामना करना पड़ता है; इंजेक्शन या आई ड्रॉप सीधे शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए सूक्ष्मजीवी संदूषण की एक चूक भी अनेक रोगियों को हानि पहुँचा सकती है। जोखिम-आधारित विनियमन सबसे कड़ी जाँच वहाँ रखता है जहाँ हानि सबसे अधिक हो सकती है। इसके विरुद्ध तर्क लागत का है: संशोधित अनुसूची M का दबाव झेल रहे छोटे निर्माता बाज़ार से बाहर हो सकते हैं, जिससे सस्ते इंजेक्शनों की कमी हो जाएगी। छूट देने की बजाय तकनीकी सहायता के साथ चरणबद्ध समय-सीमा इसका बेहतर उत्तर है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत राज्यों की भूमिका को देखते हुए आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या सभी निर्जर्म दवाओं का केंद्रीय लाइसेंस भारत को दवा-गुणवत्ता की समस्या का समाधान कर सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए — केंद्रीय लाइसेंस के लाभों को उसकी कानूनी और क्षमता संबंधी सीमाओं के साथ तौलिए; निष्कर्ष दीजिए। 2. भूमिका — न्यायालयों ने CDSCO का प्रवर्तन सीमित किया है, जबकि निर्जर्म दवाओं की विफलताएँ बनी हुई हैं — ET की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल उच्च न्यायालय के फ़ैसले और DCC के प्रस्ताव का उल्लेख कीजिए। 3. केंद्रीय लाइसेंस सबसे जोखिम भरे उत्पादों के लिए एक समान मानक देता है — मूल्यवर्धन: संशोधित अनुसूची M (दिसंबर 2023)। 4. प्रवर्तन शक्ति के बिना लाइसेंस पर्याप्त नहीं है — अध्याय IV की शक्तियाँ राज्यों के पास हैं; अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। 5. सहकारी विनियमन ही व्यावहारिक मध्य मार्ग है — प्रवाह-चित्र बनाइए: केंद्रीय लाइसेंस → संयुक्त निरीक्षण → अनुत्तीर्ण नमूनों का साझा डेटाबेस → राज्य द्वारा अभियोजन। 6. निष्कर्ष — मानकों का केंद्रीकरण कीजिए, प्रवर्तन साझा कीजिए — सुधार के साथ-साथ राज्यों की क्षमता के लिए धन उपलब्ध कराइए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. राज्य के औषधि नियंत्रक के रूप में, आपके राज्य की एक इकाई की आई ड्रॉप्स के दूषित होने की सूचना कहीं और से मिलती है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं उस बैच को वापस मँगवाऊँगा और निरीक्षण पूरा होने तक उत्पादन रुकवा दूँगा, क्योंकि अध्याय IV की शक्तियाँ राज्य के पास हैं। मैं CDSCO के साथ संयुक्त निरीक्षण करूँगा ताकि निष्कर्षों का वज़न हर जगह माना जाए, अन्य नियंत्रकों को सचेत करूँगा, और नमूने अनुत्तीर्ण होने पर अभियोजन चलाऊँगा। तेज़ और पारदर्शी कार्रवाई रोगियों और नियामक की साख, दोनों की रक्षा करती है।

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology)

इस वर्ष का चिकित्सा नोबेल एक ऐसे प्रश्न को पुरस्कृत करता है जिसे कोई प्राथमिकता मानकर वित्तपोषित नहीं करता: एककोशिकीय शैवाल प्रकाश पर इतनी तेज़ी से प्रतिक्रिया क्यों देता है? तीन दशक बाद इसका उत्तर एक ऐसा स्विच है जो चुनी हुई मस्तिष्क-कोशिकाओं को चालू और बंद कर सकता है, और दृष्टि लौटाने के परीक्षण चल रहे हैं। भारत के लिए सबक किसी एक और गैजेट का नहीं, बल्कि बुनियादी शोध के लिए धैर्यवान धन का है।

6.1 चिकित्सा नोबेल 2026 ऑप्टोजेनेटिक्स को: चुने हुए तंत्रिका-कोशिकाओं के लिए प्रकाश का स्विच

सूदा Frontier science and India (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** नवाचार और सुरक्षा उपाय • तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी विज्ञान के नोबेल पुरस्कार हर अक्टूबर में घोषित होते हैं। दर्पण इन्हें, और अन्य बुनियादी-विज्ञान की सफलताओं को, इस दृष्टि से देखता है कि वे भारत के अपने शोध-वित्तपोषण के बारे में क्या सिखाते हैं।

समाचार (THE NEWS) स्टॉकहोम, 5 अक्टूबर। कैरोलिंस्का इंस्टिट्यूट की नोबेल सभा ने 2026 का शरीर-क्रिया विज्ञान या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कार्ल डाइसेरोथ (स्टैनफर्ड विश्वविद्यालय) तथा जर्मन पीटर हेगमान (हम्बोल्ट विश्वविद्यालय, बर्लिन) और गेऑर्ग नागेल (वुर्ज़बर्ग विश्वविद्यालय) को “प्रकाश-द्वारित आयन चैनलों और ऑप्टोजेनेटिक्स से संबंधित खोजों” के लिए दिया (ईटी)। ऑप्टोजेनेटिक्स में चुनी हुई तंत्रिका-कोशिकाओं को प्रकाश-संवेदी प्रोटीन का जीन देने के बाद प्रकाश से चालू या बंद किया जाता है। 1990 के दशक में हेगमान ने पाया कि शैवाल क्लैमाइडोमोनास में प्रकाश तेज़ी से विद्युत संकेत पैदा करता है; 2000 में उन्होंने नागेल से संपर्क किया, और दोनों ने दो प्रकाश-द्वारित चैनलों, चैनलरोडॉप्सिन-1 और -2, की पहचान की। दूसरा चैनल 0.2 मिलीसेकंड के भीतर खुल गया और धनात्मक आयनों को कोशिका में जाने दिया (द हिंदू)। डाइसेरोथ की टीम ने अपना पहला बड़ा परिणाम 2005 में चूहे की तंत्रिका-कोशिकाओं पर बताया और 2007 में फ़ाइबर-ऑप्टिक केबल के सहारे प्रकाश से जीवित चूहों की मूँछें हिलवाईं। 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोना का यह पुरस्कार तीनों में बँटगा।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

हेगमान पूछते हैं कि शैवाल प्रकाश को इतनी तेज़ी से कैसे भाँपता है (1990 का दशक) → नागेल के साथ वे चैनलरोडॉप्सिन खोजते हैं, जो एक साथ प्रकाश-संवेदक और आयन-द्वार है → डाइसेरोथ जीन को तंत्रिका-कोशिकाओं में डालते हैं (2005) → प्रकाश जीवित चूहों में चुने हुए परिपथ चलाता है (2007) → मस्तिष्क-परिपथों के मानचित्र, दृष्टि-परीक्षण और नोबेल

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. आयन चैनल एक द्वार वाला रंभ्र है; चैनलरोडॉप्सिन ऐसा द्वार है जिसे प्रकाश खोलता है — तंत्रिका-कोशिका तब सक्रिय होती है जब सोडियम जैसे आयन उसकी झिल्ली के प्रोटीन-रंभ्रों से, जिन्हें आयन चैनल कहते हैं, तेज़ी से भीतर आते हैं; ये रंभ्र केवल किसी ट्रिगर, जैसे वोल्टेज में बदलाव या किसी रसायन, पर खुलते हैं। चैनलरोडॉप्सिन नीले प्रकाश में खुलता है। चूँकि इसे एक ही जीन बनाता है, इसलिए उस जीन को किसी चुने हुए प्रकार की तंत्रिका-कोशिका में डाला जा सकता है, ताकि केवल वही कोशिकाएँ प्रकाश पर प्रतिक्रिया दें।
2. ANRF अधिनियम, 2023 ने भारत की शीर्ष शोध-वित्तपोषण संस्था बनाई — अनुसंधान नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन अधिनियम, 2023 (Anusandhan National Research Foundation Act) ने ANRF की स्थापना की, जो विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और प्रयोगशालाओं में शोध को वित्त देता है; इसने विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 को निरस्त कर SERB को उसमें विलीन कर दिया। इसके शासी बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और इसका प्रशासनिक विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. सामान्य अध्ययन-3 में विज्ञान के विकास और उनके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं — पाठ्यक्रम की पंक्ति है “विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी — विकास और उनके अनुप्रयोग तथा रोज़मर्रा के जीवन पर प्रभाव”। नोबेल पुरस्कार प्रारंभिक परीक्षा के नियमित विषय हैं; मुख्य परीक्षा यह पूछती है कि भारत शोध-क्षमता कैसे बनाए।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- चिकित्सा का नोबेल कैरोलिंस्का इंस्टिट्यूट की नोबेल सभा देती है; भौतिकी और रसायन विज्ञान के नोबेल रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ़ साइंसेज़ देती है।
- चैनलरोडॉप्सिन प्रकाश-द्वारित आयन चैनल हैं जो पहली बार हरे शैवाल क्लैमाइडोमोनास में पाए गए; चैनलरोडॉप्सिन-2 नीले प्रकाश में खुलता है और धनात्मक आयनों को भीतर आने देता है।
- फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में केंद्रीय सिद्धांत (सेंट्रल डॉग्मा) प्रस्तावित किया; टेमिन और बाल्टिमोर ने 1970 में रेट्रोवायरसों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज़ की जानकारी दी, जो RNA से DNA की प्रतिलिपि बनाता है।
- हर गोविंद खुराना को 1968 का चिकित्सा नोबेल आनुवंशिक कोड की व्याख्या के लिए साझा रूप से मिला था।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. लाभ एक शैवाल के बारे में पूछे गए प्रश्न से मिला, मस्तिष्क-रोग का इलाज खोजने के किसी

	लक्ष्य से नहीं — हेगमान जानना चाहते थे कि तालाब का एक जीव प्रकाश को कैसे भाँपता है; मस्तिष्क का औज़ार बाद में आया। उसी दिन द हिंदू ने जीवाणु-एंजाइमों (DRT3b) की खबर दी जो बिना किसी साँचे के DNA बनाते हैं और क्रिक के केंद्रीय सिद्धांत की परीक्षा लेते हैं; CRISPR भी इस अध्ययन से निकला कि जीवाणु वायरसों से कैसे लड़ते हैं। जो वित्तदाता शुरू में ही किसी नामित अनुप्रयोग की माँग करता, वह इन तीनों को चूक जाता। 2. दृष्टि — नवाचार और सुरक्षा-उपाय: मस्तिष्क-कोशिकाओं के स्विच के लिए क्लिनिक से पहले नियम चाहिए — मनुष्यों पर हर उपयोग एक जीन-चिकित्सा और एक उपकरण का मेल है। लाभ वास्तविक है: परीक्षाओं का लक्ष्य रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से अंधे हुए लोगों में कुछ दृष्टि लौटाना है। जोखिम हैं डाले गए जीन की दीर्घकालिक सुरक्षा, स्थायी बदलाव के लिए सहमति, और ऐसे औज़ार का दुरुपयोग जो व्यवहार बदल सकता है। एक समझदार नियामक इसे रोग-दर-रोग, परीक्षण के प्रमाणों के आधार पर मंजूर करेगा, न प्रतिबंधित करेगा और न जल्दबाज़ी करेगा। 3. भारत की कमी प्रतिभा की नहीं, धैर्यवान धन की है — भारतीय प्रयोगशालाएँ ऑप्टोजेनेटिक्स का उपयोग पहले से कर रही हैं; टीआईएफआर की विदिता वेद ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि इसने खोज का “पैमाना पूरी तरह बदल दिया”। पुरस्कृत मार्ग में दो दशक लगे, जबकि छोटी अवधि के अनुदान त्वरित परिणामों को पुरस्कृत करते हैं। ANRF की कसौटी यह है कि क्या वह कुछ खुले-सिर वाले प्रश्नों को एक दशक तक सहारा देता है, यह मानते हुए कि अधिकांश असफल होंगे।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	एक शैवाल के प्रति जिज्ञासा से जन्मी ऑप्टोजेनेटिक्स ने 2026 का चिकित्सा नोबेल जीता है। परीक्षण कीजिए कि यह बुनियादी शोध के वित्तपोषण के बारे में भारत को क्या सिखाती है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — प्रमाणों के साथ सबक की पड़ताल कीजिए और वित्तपोषण के ढाँचे पर निर्णय दीजिए। 2. भूमिका — तालाब के शैवाल से तंत्रिका-कोशिकाओं के प्रकाश-स्विच तक — ऑप्टोजेनेटिक्स को परिभाषित कीजिए और बताइए कि यह 1990 के दशक के एक अनियोजित प्रश्न से उपजी। 3. मुख्य भाग — सफलताएँ घुमावदार रास्तों से आती हैं; इसलिए वित्तपोषण को अनिश्चितता सहनी होगी — शैवाल का मार्ग, DRT3b और CRISPR का उदाहरण दीजिए; समय-रेखा बनाइए: 1990 के दशक में शैवाल, 2005 में तंत्रिका-कोशिकाएँ, 2007 में चूहे, आज के परीक्षण। 4. मुख्य भाग — भारत को लंबे, स्थिर अनुदान चाहिए — मूल्य-संवर्धन: ANRF अधिनियम, 2023 ने SERB को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले फ़ाउंडेशन में मिला दिया; दशक-भर के अनुदानों की वकालत कीजिए। 5. मुख्य भाग — प्रतिपक्ष: मिशन भी मायने रखते हैं — सीमित धन को लक्ष्य-केंद्रित करना होगा; जिज्ञासा-आधारित शोध के लिए एक हिस्सा सुरक्षित रखिए। 6. निष्कर्ष — धैर्य शोध की सबसे सस्ती सब्सिडी है — ANRF की एक सुरक्षित खिड़की ही वह तरीका है जिससे भारत अपनी ऑप्टोजेनेटिक्स विकसित कर सकता है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. शोध-वित्तपोषण संस्था के प्रमुख के रूप में, एक मंत्री पूछते हैं कि जनता का धन शैवाल का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों पर क्यों लगाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? दृष्टिकोण (Approach): इस वर्ष का चिकित्सा नोबेल ठीक ऐसी ही शैवाल-परियोजना से शुरू हुआ था, जिसे कोई अनुप्रयोग-आधारित कार्यक्रम कभी शुरू नहीं करवाता। मैं दीर्घकालिक, खुले-सिर वाले अनुदानों का एक छोटा, निश्चित पोर्टफोलियो प्रस्तावित करूँगा, जिसका आकलन वैज्ञानिक गुणवत्ता पर हो और जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो। अधिकांश धन मिशन-मोड कार्यों में ही रहेगा, इसलिए बुनियादी विज्ञान का हिस्सा सोचा-समझा दाँव है, रिसाव नहीं।

7. समाज (Society)

भारत ने आज तक यह नहीं मापा था कि उसके लोग काम पर कैसे जाते हैं, और पहला उत्तर विनम्र कर देने वाला है: दो पहिया वाहन पर या पैदल, सार्वजनिक परिवहन से शायद ही कभी। असली निष्कर्ष लैंगिक विभाजन में है। जहाँ बसें उपलब्ध हैं, वहाँ महिलाएँ पुरुषों से तीन गुना अधिक उनका उपयोग करती हैं, जिससे बस केवल यातायात का नहीं, बल्कि महिलाओं के रोज़गार का प्रश्न बन जाती है।

7.1 पहले राष्ट्रीय परिवार यात्रा सर्वेक्षण के अनुसार 43% कामगार दो पहिया वाहन से चलते हैं, और बसें महिलाओं को ढोती हैं

मुद्दा Urban mobility and how India commutes (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और समता • विकास और पर्यावरण

अब तक की कहानी परिवहन नियोजन अब तक शहर-स्तरीय अध्ययनों पर निर्भर रहा है। रेलवे ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से समर्पित परिवार यात्रा सर्वेक्षण कराने को कहा, जो जुलाई 2025 से NSS के 80वें दौर में चलाया गया।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली, 5 अक्टूबर। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने भारत का पहला राष्ट्रीय परिवार यात्रा सर्वेक्षण (National Household Travel Survey — NHTS) जारी किया, जो जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच 14,274 गाँवों और 10,377 शहरी खंडों के 20 लाख लोगों के बीच किया गया; 1 किमी से कम की यात्राएँ दर्ज नहीं की गईं। ET की रिपोर्ट के अनुसार, 42.6% कामगार मुख्यतः दो पहिया वाहन से आते-जाते हैं, 28.3% पैदल चलते हैं, 10.7% साइकिल चलाते हैं, 6.7% बस लेते हैं और 3% कार चलाते हैं; मेट्रो, उपनगरीय रेल, मोनोरेल और ट्राम शहरी कामगारों के 5% को ढोते हैं, पर महाराष्ट्र में 20.7%, पश्चिम बंगाल में 16.5% और दिल्ली में 14.4% को। द इंडियन एक्सप्रेस पाता है कि केवल 9% लोग काम पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं, और 1 किमी से अधिक यात्रा करने वाली 21.7% शहरी महिलाएँ बस लेती हैं, जबकि शहरी पुरुषों में यह 6.9% है; केरल में यह हिस्सा 46.8% और तमिलनाडु में 41.1% है। एक कामगार आवागमन पर महीने में ₹785 खर्च करता है (शहरी ₹1,044, ग्रामीण ₹612)।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

शहर अपने सार्वजनिक परिवहन से आगे निकल जाते हैं → परिवार दो पहिया वाहन खरीदते हैं → योजनाकारों के पास राष्ट्रीय यात्रा-आंकड़े नहीं हैं → NSO NSS के 80वें दौर में यात्रा सर्वेक्षण कराता है → परिणाम दिखाते हैं कि सार्वजनिक परिवहन कमज़ोर है और महिलाएँ बसों पर निर्भर हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. MoSPI और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत के आधिकारिक सर्वेक्षण चलाते हैं — MoSPI का गठन 1999 में सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय से हुआ। 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय को मिलाकर मंत्रालय के भीतर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistics Office — NSO) बनाया गया। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (National Sample Survey) के दौर क्रमांकित होते हैं; NHTS 80वें दौर का हिस्सा था, जिसमें घरेलू पर्यटन और स्वास्थ्य भी शामिल हैं। 2. राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 ने वाहनों को नहीं, लोगों को ले जाने का सिद्धांत तय किया — केंद्र सरकार की 2006 की राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति ने शहरों से कहा कि वे सार्वजनिक परिवहन और पैदल चलने तथा साइकिल जैसे गैर-मोटरीकृत साधनों को प्राथमिकता दें, और सड़क की जगह वाहनों की संख्या के बजाय ढोए गए लोगों के आधार पर आवंटित करें।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. नगरीकरण और महिलाओं की गतिशीलता GS1 के मूल विषय हैं — GS1 में “नगरीकरण, उनकी समस्याएँ और उनके उपचार” तथा “महिलाओं की भूमिका” शामिल हैं। NHTS दोनों के पहले राष्ट्रीय आंकड़े देता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के विलय से MoSPI के अंतर्गत हुआ। ● पहला राष्ट्रीय परिवार यात्रा सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 80वें दौर के भाग के रूप में कराया गया। ● SDG लक्ष्य 11.2 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित, वहनीय, सुलभ और धारणीय परिवहन प्रणालियों की उपलब्धता का आह्वान करता है। ● राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 शहरों में सार्वजनिक परिवहन और गैर-मोटरीकृत परिवहन को प्राथमिकता देती है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दृष्टि — संवृद्धि और समता: बस महिलाओं की रोज़गार नीति है — शहरी महिलाएँ पुरुषों से तीन गुना अधिक बार बस लेती हैं, क्योंकि उनके पास दो पहिया वाहन होने या उसे चलाने की संभावना कम होती है और वे घर के पास कम वेतन वाले काम अधिक करती हैं। इसलिए किराया या किसी मार्ग का न होना ही तय करता है कि महिला नौकरी कर पाएंगी या नहीं। सर्वेक्षण कई दक्षिणी राज्यों की निःशुल्क बस योजनाओं का समर्थन करता प्रतीत होता है, जहाँ महिलाओं का

	बस-उपयोग सबसे अधिक है। यह प्रमाण नहीं है, क्योंकि वहाँ ऊँचा बस-उपयोग आंशिक रूप से इन्हीं योजनाओं का परिणाम हो सकता है; बारंबारता और सुरक्षा भी किराये जितने ही महत्वपूर्ण हैं। 2. भारत का आवागमन छोटा, सस्ता और निजी है, जो एक चेतावनी है — अधिकांश कामगार आधे घंटे के भीतर काम पर पहुँच जाते हैं क्योंकि बहुत-से लोग काम के पास रहते हैं। जैसे-जैसे शहर फैलेंगे, यात्राएँ लंबी होंगी, और बेहतर बसों के बिना इसका अर्थ होगा अधिक मोटरसाइकिलें, भीड़ और सड़क दुर्घटनाओं में मौतें। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में मेट्रो का 14% से अधिक उपयोग दिखाता है कि जहाँ रेल है, वहाँ लोग उसका उपयोग करते हैं। 3. आँकड़े स्वयं सुधार हैं — शहरी योजनाएँ स्थानीय अध्ययनों पर टिकी थीं जिनकी तुलना नहीं हो सकती थी; राष्ट्रीय सर्वेक्षण से धन वहाँ जा सकता है जहाँ बस-निर्भरता अधिक और सेवा कम है। इसकी सीमा यह है कि 1 किमी से कम की यात्राएँ दर्ज नहीं हुईं, जिससे गरीब और महिला यात्रियों का बहुत-सा पैदल चलना छिप जाता है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	पहले राष्ट्रीय परिवार यात्रा सर्वेक्षण के आलोक में शहरी सार्वजनिक परिवहन और महिलाओं की कार्य-भागीदारी के बीच संबंध की चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — चर्चा कीजिए — संबंध को कई पक्षों से समझाइए और एक मत पर पहुँचिए। 2. भूमिका — भारत के पहले राष्ट्रीय आवागमन आँकड़े — NHTS और उसके पैमाने पर दो पंक्तियाँ। 3. दो पहिया वाहन हावी हैं और सार्वजनिक परिवहन कमज़ोर है — 42.6% दो पहिया और 9% सार्वजनिक परिवहन का उल्लेख कीजिए; मूल्य-संवर्धन: NUTP 2006। 4. महिलाएँ बसों पर निर्भर हैं, इसलिए बस की उपलब्धता उनके काम को आकार देती है — 21.7% बनाम 6.9% के अंतर और दक्षिणी राज्यों के आँकड़ों का प्रयोग कीजिए; राज्यवार महिलाओं के बस-हिस्से का दंड-आरेख बनाइए। 5. किराया-मुक्त योजनाएँ मदद करती हैं, पर बारंबारता, सुरक्षा और अंतिम-छोर की कड़ियाँ परिणाम तय करती हैं — सहसंबंध को कारण समझ लेने के जोखिम का उल्लेख कीजिए। 6. निष्कर्ष — दोए गए लोगों के आधार पर योजना बनाइए और बसों को सामाजिक अवसरचना की तरह वित्तपोषित कीजिए — एक पंक्ति।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. एक मध्यम आकार के शहर के नगर आयुक्त के रूप में, आप NHTS के निष्कर्षों का उपयोग कैसे करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं अपने शहर में महिलाओं के बस-हिस्से और औसत आवागमन-समय की तुलना राज्य से करूँगा, और यह मानचित्रित करूँगा कि बस मार्ग रोज़गार-समूहों तक कहाँ नहीं पहुँचते। मैं धन को सड़क-चौड़ीकरण से हटाकर नियमित बसों, सुरक्षित बस-ठिकानों और पैदल-पथों की ओर मोड़ूँगा। अंत में, मैं राज्य से ज़िला-स्तरीय सर्वेक्षण आँकड़े माँगूँगा ताकि मार्ग शिकायतों के बजाय साक्ष्य के आधार पर बनाए जा सकें।

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

प्रकरण 1 — पुलिस के पहुँचने से पहले हटा दिए गए तीन शव: वन अधिकारी से अपने कर्मचारियों के साथ खड़े रहने की अपेक्षा

परिदृश्य (SCENARIO) द इंडियन एक्सप्रेस (6 अक्टूबर) की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक की अपराध अन्वेषण विभाग (CID) की जाँच ने 15 अगस्त को कावेरी वन्यजीव अभयारण्य में तीन कथित शिकारियों के मारे जाने पर वन विभाग के बयान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभाग का कहना था कि वे लोग हथियारबंद थे और पहली गोली उन्होंने चलाई। तीन वनकर्मियों की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए CID शव-परीक्षा रिपोर्टों का हवाला देती है, जिनमें नज़दीक से चली बंदूक की चोटें दर्ज हैं; अपराध-स्थल के वीडियो में मृतकों के पास कोई हथियार नहीं दिखता; शव हटा दिए गए, घटनास्थल सुरक्षित नहीं रखा गया और पुलिस को तुरंत सूचना नहीं दी गई। यह सब 1991 के उस आदेश के विरुद्ध है जो गोली चलाने वाले वनकर्मियों को संरक्षण तभी देता है जब शर्तों और सूचना-संबंधी मानदंडों का पालन हुआ हो। एक जीवित बचा व्यक्ति कहता है कि वे लोग खोए हुए मवेशियों को ढूँढ़ रहे थे। मान लीजिए कि आप इस वन प्रभाग के प्रभारी उप वन संरक्षक हैं। आपके कर्मचारियों पर हथियारबंद गिरोहों से वास्तविक खतरा है, मंत्री ने सार्वजनिक रूप से उनका पक्ष लिया है, और आपके गार्ड कहते हैं कि यदि विभाग ने उन्हें छोड़ दिया तो वे रात की गश्त बंद कर देंगे।

प्रश्न 1. संघर्षरत मूल्यों तथा उन हितधारकों की पहचान कीजिए जिनके हितों का आपको ध्यान रखना होगा।

प्रश्न 2. जाँच, आरोपी कर्मचारियों और शेष कर्मचारियों के मनोबल के संबंध में आप क्या करेंगे?

प्रश्न 3. ऐसा मामला दोबारा न हो, इसके लिए आप कौन-से स्थायी परिवर्तन सुझाएंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- कर्मचारियों के प्रति निष्ठा का अर्थ किसी गद्दी हुई कहानी के प्रति निष्ठा नहीं है** — अधिकारी अपने गार्डों को कानूनी सहायता, निष्पक्ष प्रक्रिया और निर्दोषता की उपधारणा का ऋणी है; उन्हें बचाने के लिए कोई झूठी कहानी गढ़ने का नहीं। मारे गए तीन व्यक्तियों का जीवन का अधिकार और उनके परिवारों का सच जानने का अधिकार विभाग की प्रतिष्ठा से ऊपर है।
- पूरा सहयोग दीजिए, ईमानदारी से अभिलेख कीजिए** — सभी अभिलेख, हथियार निर्गमन रजिस्टर और वीडियो बिना विलंब CID को सौंपिए, और 1991 के मानदंडों के जिस-जिस उल्लंघन को फाइल दर्शाती है, उसे लिखित रूप में रिपोर्ट कीजिए। आरोपी कर्मचारियों के लिए कानूनी सहायता की व्यवस्था कीजिए और जाँच पूरी होने तक उन्हें क्षेत्रीय ड्यूटी से हटाइए — यह दंड नहीं, एक तटस्थ कदम के रूप में।
- नियमों की रक्षा करके मनोबल की रक्षा कीजिए** — गार्डों को साफ़ बताइए कि जिस उन्मुक्ति पर वे भरोसा करते हैं वह सूचना-संबंधी मानदंडों के पालन पर टिकी है, इसलिए ईमानदार रिपोर्टिंग ही उनकी अपनी ढाल है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की मदद से रात की गश्त जारी रखिए, और शोक-संतप्त परिवारों से किसी पक्षकार के रूप में नहीं, बल्कि एक लोकसेवक के रूप में मिलने जाइए।
- निष्कर्ष — व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए** — हर गोलीबारी के लिए बॉडी कैमरा, घटनास्थल सुरक्षित रखने का अभ्यास, पुलिस को तत्काल सूचना और स्वतंत्र मजिस्ट्रेटी जाँच का प्रस्ताव रखिए, साथ ही वन-सीमा से लगे गाँवों से चराई और मवेशियों के प्रश्न पर नियमित संवाद कीजिए। जिस प्रवर्तन पर जंगल के पड़ोसी भरोसा करते हैं, वह गार्डों और वन्यजीवों, दोनों के लिए अधिक सुरक्षित है।

प्रकरण 2 — “मैं पहली बार आवेदन कर रहा हूँ”: झूठी घोषणा के सहारे मतदाताओं को बहाल करने का आदेश पाने वाला अधिकारी

परिदृश्य (SCENARIO) द इंडियन एक्सप्रेस (6 अक्टूबर) में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस वाई कुरैशी ने ध्यान दिलाया है कि निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान गलती से हटाए गए पात्र मतदाताओं को वापस जोड़ने का अभियान चलाने का आदेश दिया है, पर यह प्रक्रिया फ़ॉर्म 6, यानी “नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र” के माध्यम से है। उसकी घोषणा कहती है, “मैं पहली बार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ”, और फ़ॉर्म चेतावनी देता है कि झूठी घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 31 के अंतर्गत दंडनीय है। उनका तर्क है कि जो अधिकारी लोगों को इस पर हस्ताक्षर के लिए प्रेरित करते हैं, वे अपराध के दुष्प्रेरण के दोषी हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं। तीस वर्षों से मतदान करते आ रहे एक बुजुर्ग दंपति का नाम सूची से हट गया है। आपका बूथ स्तरीय अधिकारी कहता है कि वे फ़ॉर्म 6 पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे क्योंकि वह असत्य है, और लक्ष्य की समीक्षा कल है।

प्रश्न 1. किसी नागरिक से ऐसी घोषणा पर हस्ताक्षर करवाने में, जिसे आप दोनों झूठी जानते हैं, नैतिक समस्या क्या है?

प्रश्न 2. कानून तोड़े या निर्देशों की उपेक्षा किए बिना आप दंपति का मताधिकार कैसे बहाल करेंगे?

प्रश्न 3. आप ऊपर क्या रिपोर्ट करेंगे, और किसे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

1. **वैध साध्य असत्य साधन को शुद्ध नहीं कर देता** — ग़लती से हटाए गए मतदाता को बहाल करना उचित है, परंतु राज्य किसी नागरिक से इसके लिए झूठ पर हस्ताक्षर नहीं करा सकता। जो अधिकारी झूठी घोषणा के लिए दबाव डालता है, वह नागरिक को यह सिखाता है कि कानून मात्र औपचारिकता है, और दोनों को आपराधिक जोखिम में डाल देता है।
2. **पहले से मौजूद हर ईमानदार रास्ता अपनाइए** — फ़ॉर्म 6 को एक लिखित टिप्पणी के साथ स्वीकार कीजिए, जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर हों और आपके प्रति-हस्ताक्षर हों, कि व्यक्ति बहाली चाह रहा है और पहले की नामावली में था; पुराने EPIC नंबर और नामावली की प्रविष्टि का उल्लेख कीजिए। पात्रता की जाँच अभिलेख और व्यक्तिगत रूप से कीजिए, और शीघ्र निर्णय दीजिए।
3. **मौन नहीं, लिखित असहमति दर्ज कीजिए** — ज़िला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर बहाली अभियान और फ़ॉर्म 6 की घोषणा के बीच के टकराव की ओर संकेत कीजिए, तथा लिखित स्पष्टीकरण या बहाली के लिए अलग फ़ॉर्म की माँग कीजिए। अभिलेख में दर्ज कीजिए कि लक्ष्य केवल वैध उपायों से ही पूरा किया जाएगा।
4. **निष्कर्ष** — नागरिक का मत और ईमानदारी, दोनों मायने रखते हैं — लक्ष्य साधन हैं, साध्य नहीं। जो अधिकारी सच्चाई के साथ मत बहाल करता है और त्रुटिपूर्ण फ़ॉर्म की ओर ध्यान दिलाता है, वह मताधिकार और नामावली की शुचिता, दोनों की सेवा करता है।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तथ्य सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
ई-संजीवनी — राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा	ई-संजीवनी (e-Sanjeevani) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का टेलीमेडिसिन मंच है, जिसे सी-डैक (C-DAC), मोहाली ने विकसित किया है। यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर रूपी स्पोक केंद्रों को हब के डॉक्टरों से जोड़ता है और घर बैठे मरीजों के लिए ऑनलाइन ओपीडी भी चलाता है। 6 अक्टूबर की PIB विज्ञप्ति के अनुसार, इसने 15 सितंबर 2026 को 50 करोड़ टेली-परामर्श का आँकड़ा पार किया, जो सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हुए, और इसे आपातकालीन नंबर ERSS-112 से भी जोड़ा गया है।
1947 के बाद ऊपरी असम से पहली अंतरराष्ट्रीय माल-दुलाई — राष्ट्रीय जलमार्ग 2	5 अक्टूबर की PIB विज्ञप्ति के अनुसार, मेथनॉल लादे एक बजरे ने डिब्रुगढ़ के बोगीबील टर्मिनल से बांग्लादेश के लिए प्रस्थान किया; वह राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (ब्रह्मपुत्र, सदिया से धुबरी) और फिर भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर लगभग 768 किमी चलेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (National Waterways Act, 2016) के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जाते हैं।
पराली जलाने के विरुद्ध CPCB के उड़न दस्ते — CAQM के निर्देश	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 34 जिलों (पंजाब में 18, हरियाणा में 16) में उड़न दस्ते तैनात किए हैं (द हिंदू; PIB, 5 अक्टूबर)। CAQM, CAQM अधिनियम, 2021 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है; CPCB का गठन जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 [Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974] के अंतर्गत हुआ था।
खनिज एक्सचेंज नियम, 2026 — भारतीय खान ब्यूरो	खान मंत्रालय के अधीन भारतीय खान ब्यूरो (Indian Bureau of Mines) ने खनिज एक्सचेंज नियम, 2026 के अंतर्गत खनिज एक्सचेंज स्थापित करने के लिए कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं; ये नियम खनिज एक्सचेंजों और बाजार प्रतिभागियों के संचालन हेतु जून में अधिसूचित किए गए थे (ET)। नियम खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 [Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957] के अंतर्गत बनाए गए हैं। IBM का मुख्यालय नागपुर में है।
PESO और अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) गैसों	ET के अनुसार, चिप-निर्माण के लिए अनिवार्य गैसों — हीलियम, साइलेन, फॉस्फीन, डाइबोरेन और आर्सीन — भारत में नहीं बनती, और उद्योग चाहता है कि भारतीय नियम वैश्विक SEMI मानकों के अनुरूप हों। खतरनाक गैसों की सुरक्षा का विनियमन पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) करता है, जिसका मुख्यालय नागपुर में है और जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन है; यह विस्फोटक अधिनियम, 1884 (Explosives Act, 1884) और पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (Petroleum Act, 1934) जैसे कानूनों का प्रशासन करता है।
GST परिषद — 57वीं बैठक 8 अक्टूबर को निर्धारित	द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, GST परिषद की 57वीं बैठक गुरुवार, 8 अक्टूबर के लिए खिसका दी गई है और उसका ध्यान प्रक्रिया-सुधारों पर रहेगा; सितंबर 2025 में घोषित दरों के पुनर्गठन के बाद यह पहली बैठक है। परिषद अनुच्छेद 279A (101वां संशोधन, 2016) के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं; निर्णयों के लिए भारत मतों का तीन-चौथाई बहुमत चाहिए, जिसमें केंद्र का मत एक-तिहाई और सभी राज्यों का मिलाकर दो-तिहाई गिना जाता है।
वहन क्षमता — कैंची धाम और उत्तराखंड	वहन क्षमता (Carrying Capacity) वह अधिकतम संख्या है जितने पर्यटकों को कोई स्थान अपने पर्यावरण, अवसंरचना और निवासियों के जीवन को क्षति पहुँचाए बिना संभाल सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस ने एक फ़िल्म के बाद कैंची धाम (नैनीताल ज़िला) में उमड़ी भीड़ की रिपोर्ट दी है, और एक राज्य योजना दस्तावेज़ के अनुसार उत्तराखंड में पर्यटकों की आमद वहाँ की निवासी आबादी का लगभग 300% है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 185%। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के अभिलेख में केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री और यमुनोत्री का वहन क्षमता अध्ययन मौजूद है।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड — 'गोडावण' और बिजली लाइन संबंधी आदेश	द हिंदू के एक संपादकीय ('Bird islands') में याद दिलाया गया है कि सालिम अली चाहते थे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राष्ट्रीय पक्षी बने, पर भारतीय वन्यजीव बोर्ड ने मोर को चुना। 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पक्षी के प्राथमिकता वाले आवास में बिजली लाइनें भूमिगत बिछाने का आदेश दिया था, परंतु विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की आपत्तियों के बाद उसने 2024 में वह सर्वव्यापी आदेश वापस ले लिया और दिसंबर 2025 में कठोर नियमों को छोटे 'संशोधित प्राथमिकता क्षेत्रों' तक सीमित कर दिया। राजस्थान में इस पक्षी को गोडावण कहा जाता है; इसी सप्ताह डेज़र्ट नेशनल पार्क में दो नर पक्षी छोड़े गए।
सर्वोच्च न्यायालय के तीन नए न्यायाधीश — अनुच्छेद 124	केंद्र ने गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों (न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और अपरेश कुमार सिंह) को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है, जिससे कार्यरत संख्या स्वीकृत 38 के सापेक्ष 37 हो गई है (द हिंदू; PIB)। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत करते हैं; उनकी संख्या संसद अनुच्छेद 124(1) के अंतर्गत सर्वोच्च

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 [Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956] द्वारा तय करती है।
जनगणना नियम, 1990 — प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर करना	जनगणना नियम, 1990 (Census Rules, 1990) का नियम 8(iv) राज्य सरकारों से अपेक्षा करता है कि जनगणना आयुक्त की सूचना की तिथि से ज़िलों, तहसीलों और नगरों की सीमाएँ स्थिर कर दें। द हिंदू के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगा कि क्या राज्य जनगणना 2027 के दौरान नगरपालिका वार्डों की सीमाएँ फिर से खींच सकते हैं। जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) के अंतर्गत गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा संचालित की जाती है।
विधायी विशेषाधिकार और वाक्-स्वातंत्र्य — अनुच्छेद 105 और 194	अनुच्छेद 105 और 194 संसद तथा राज्य विधानमंडलों को उनकी शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान करते हैं। पंडित एम एस एम शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हा (सर्चलाइट मामला, 1959, 4:1) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 194(3) के अंतर्गत विशेषाधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) पर प्रभावी है; 1964 के विशेष निर्देश संख्या 1 (केशव सिंह) में कहा गया कि न्यायालय विशेषाधिकार के आधार पर हुए निरोधों की जाँच कर सकते हैं। सात न्यायाधीशों की एक पीठ के समक्ष 2003 में पत्रकारों के विरुद्ध तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव से उपजा एक संदर्भ लंबे समय से लंबित है (IE, TH)।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद् का आकार — अनुच्छेद 75(1A)	91वें संशोधन, 2003 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 75(1A) के अनुसार मंत्रिपरिषद् की संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए उसमें अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं (ET)। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार, जो मंत्री लगातार छह माह तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता, वह मंत्री नहीं रह जाता (IE, उन दो केंद्रीय मंत्रियों के संदर्भ में जिनका राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है)।
शक्ति हेलीकॉप्टर इंजन — HAL और सैफ़रान	शक्ति इंजन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और सैफ़रान हेलीकॉप्टर इंजन्स का संयुक्त भारत-फ्रांसीसी कार्यक्रम है (IE)। यह उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव और हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को शक्ति देता है। द इंडियन एक्सप्रेस ने ओडिशा में HAL के कोरापुट डिवीज़न में दूसरी उत्पादन लाइन की रिपोर्ट दी है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चयन — अनुच्छेद 97	संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 97 के अनुसार, महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफ़ारिश पर महासभा करती है। परिषद की सिफ़ारिश के लिए 15 में से 9 मत चाहिए और पाँचों स्थायी सदस्यों में से किसी का वीटो नहीं होना चाहिए (ET)। एंटोनियो गुटेरेस का दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 6 अक्टूबर 2026 से ली गई है; जहाँ संकेतित है वहाँ आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरक। तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

रोज़ का वह हिस्सा जो अखबार नहीं देते: एक पूरा लिखा आदर्श उत्तर, GS1 का एक स्थायी विषय, मानचित्र अभ्यास, GS4 का एक सैद्धांतिक शब्द और CSAT का अभ्यास।

11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 2.2 (10 अंक, 150 शब्द)

क्या MMDR संशोधन अधिनियम, 2026 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2024 में मान्य राज्यों की कराधान-शक्तियों को कमज़ोर करता है? टिप्पणी कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

भूमिका — MADA बनाम SAIL (2024) में नौ-सदस्यीय पीठ ने 8:1 से माना कि रॉयल्टी कर नहीं है और राज्य खनिज अधिकारों व खनिज-भूमि पर कर लगा सकते हैं। 2026 अधिनियम की धारा 9D केंद्र की शर्तों के बाहर ऐसे कर रोकती और अवसूला बकाया रद्द करती है।

- भूमि पर कमज़ोरी वास्तविक** — संघ सूची की प्रविष्टि 54 से प्रविष्टि 49 सीमित नहीं हो सकती। खनिज झारखंड के गैर-कर राजस्व का 85% और ओडिशा का 80% देते हैं।
- खनिज अधिकारों पर संसद को गुंजाइश** — प्रविष्टि 50 स्पष्टतः संसद की सीमाओं के अधीन है; केंद्र सही कहता है कि दोहरे कर खनिज महंगे करते हैं।
- पिछला बकाया रद्द करना सबसे कमज़ोर** — यह चूककर्ताओं को लाभ देता है, अनुच्छेद 14 की आपत्ति उठती है; कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और केरल चुनौती देंगे।

निष्कर्ष — अधिनियम भूमि और पिछले बकाये पर 2024 के निर्णय को कमज़ोर करता है। आगे की राह: भावी करों हेतु GST परिषद-जैसा सहमत सूत्र।

यह बनाइए: मुख्य भाग में प्रवाह-चित्र: राज्य सूची की प्रविष्टि 23 → संघ सूची की प्रविष्टि 54 के अधीन → राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 49 (भूमि पर कर) और 50 (खनिज अधिकारों पर कर, संसद के अधीन), प्रत्येक पर “नियमन” या “कर” का चिह्न।

(150 शब्द)

11.2 GS1 कोना — भूगोल: अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह: डूबी हुई पर्वत-शृंखला की चोटियाँ

आज का संदर्भ: 4.1

- द्वीप एक जलमग्न पर्वत-शृंखला के शिखर हैं** — ये म्यांमार की अराकान योमा का दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में विस्तार हैं और खाड़ी तथा अंडमान सागर के बीच समुद्र-तल से उठे हैं। अंडमान के पूर्व में स्थित बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है।
- जलमार्ग शृंखला को समूहों में बाँटते हैं** — दस डिग्री चैनल (Ten Degree Channel) अंडमान समूह को निकोबार समूह से अलग करता है। ग्रेट निकोबार निकोबार का सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है, और उसकी दक्षिणी नोक पर इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

- दस डिग्री चैनल अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है।
- अंडमान सागर में स्थित बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है।
- उत्तरी अंडमान का सैडल पीक अंडमान द्वीपों का सबसे ऊँचा बिंदु है।

11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
ग्रेट निकोबार द्वीप (Great Nicobar Island)	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में निकोबार समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच; इंडोनेशिया का सुमात्रा इसके दक्षिण-पूर्व में है।	सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रेट निकोबार परियोजना पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार किया (4.1)।	यहाँ कैपबेल बे और गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान हैं; PVTG शोम्पेन यहीं रहते हैं।
कूनों राष्ट्रीय उद्यान (Kuno National Park)	उत्तरी मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना ज़िलों में, चंबल की सहायक कूनों नदी पर।	बोत्सवाना मूल के पाँच शावकों का जन्म; भारत में चीतों की संख्या 60 हुई (4.2)।	प्रोजेक्ट चीता (2022) का पहला स्थल; मध्य प्रदेश का ही गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य दूसरा है।
कावेरी वन्यजीव अभयारण्य	दक्षिणी कर्नाटक में कावेरी नदी के किनारे, जहाँ वह तमिलनाडु की सीमा बनाती है।	CID 15 अगस्त को तीन मौतों के बारे में वन विभाग के विवरण की	कावेरी कर्नाटक के कोडग में तलाकावेरी से निकलती है और

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
(Cauvery Wildlife Sanctuary)		जाँच कर रही है (प्रकरण 1; IE p5)।	तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में मिलती है।
बोत्सवाना (Botswana)	दक्षिणी अफ्रीका का स्थल-रुद्ध देश, जिसकी सीमाएँ दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया से लगती हैं।	उन नौ चीतों का स्रोत, जिनकी वंश-परंपरा से कूनो के नए शावक जन्मे (4.2)।	बोत्सवाना के कालाहारी में स्थित आंतरिक डेल्टा ओकावांगो डेल्टा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): साध्य और साधन पर गांधी (Gandhi on means and ends)

अर्थ — गांधी का मत था कि साधन और साध्य को अलग नहीं किया जा सकता: अशुद्ध साधन अच्छे साध्य को भी दूषित कर देता है। लोक सेवक के लिए छल या दबाव से पाया गया सही परिणाम भी सही परिणाम नहीं है।

आज के समाचार में — प्रकरण 2 में एक ERO से कहा जाता है कि गलत ढंग से हटाए गए मतदाताओं को बहाल करने के लिए उनसे फॉर्म 6 की झूठी “पहली बार” वाली घोषणा पर हस्ताक्षर करवाए जाएँ। प्रकरण 1 में वन-कर्मियों के प्रति निष्ठा गढ़ी हुई कहानी तक नहीं खिंच सकती।

उत्तर में उपयोग — इसका प्रयोग वहाँ करें जहाँ केस स्टडी अच्छे लक्ष्य के लिए शॉर्टकट का प्रलोभन देती हो: सिद्धांत का नाम लें, फिर वैधानिक रास्ता सुझाएँ और त्रुटि की सूचना ऊपर दें।

11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

नीचे का अनुच्छेद मौलिक है, आज के एक संपादकीय के विषय पर। पहले उत्तर स्वयं चुनें, फिर अंत में उत्तर-कुंजी देखें।

जब कोई देश पहली बार किसी चीज़ की ठीक से गिनती करने का निर्णय लेता है, तो शुरुआती आँकड़े अक्सर बुरी खबर लाते हैं। जिस रोग का रिकॉर्ड पहले तभी बनता था जब मरीज़ संयोग से किसी बड़े अस्पताल पहुँच जाते थे, वही अचानक क्लिनिकों, प्रयोगशालाओं और छोटे कस्बों से दर्ज होने लगता है। कुल संख्या बढ़ती है, और जल्दबाज़ी में पढ़ने वाला निष्कर्ष निकाल लेता है कि बीमारी फैल रही है। अक्सर वह केवल दिखाई देने लगी होती है।

यह इसलिए मायने रखता है कि सार्वजनिक धन आँकड़ों के पीछे चलता है। जो स्वास्थ्य विभाग यह नहीं बता सकता कि हर साल कितने लोग बीमार पड़ते हैं, किस आयु में और किस अवस्था में, वह केवल अनुमान लगा सकता है कि जाँच केंद्र कहाँ खोले जाएँ, कितने विशेषज्ञ प्रशिक्षित किए जाएँ या कौन-सी दवाएँ रखी जाएँ। कुछ अच्छी तरह चलने वाले ज़िलों के आधार पर बने अनुमान उन ज़िलों का हाल तो ठीक बता सकते हैं, पर शेष देश का खराब। ऐसे आँकड़ों पर योजना बनाना किसी दूसरी सड़क के लिए बने नक्शे से राह तय करने जैसा है।

फिर भी बेहतर गिनती के अपने दायित्व हैं। रिपोर्टें हर जगह एक-सी परिभाषाओं पर आधारित होनी चाहिए, वरना किसी क्षेत्र की वृद्धि केवल व्यापक परिभाषा का परिणाम होगी। डॉक्टरों और प्रयोगशालाओं को अनुपालन के लिए प्रशिक्षण और समय चाहिए, और व्यक्ति की बीमारी का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि जिन्हें पहचान उजागर होने का डर होता है, वे गिनती में आने से ही बचेंगे। जो व्यवस्था लापरवाही से आँकड़े जुटाती है, उसके पास अंततः कम आँकड़े रह सकते हैं।

इसलिए इमानदार गिनती के शुरुआती वर्षों में आँकड़े पढ़ने वालों से धैर्य अपेक्षित है। ऊपर चढ़ती रेखा इस बात का संकेत हो सकती है कि व्यवस्था काम कर रही है। असली कसौटी बाद में आती है, जब गिनती इतनी स्थिर और पूर्ण हो जाए कि दिखा सके कि जल्दी पहचान और बेहतर इलाज वास्तव में जानें बचा रहे हैं या नहीं।

Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गद्यांश के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है?

- रोग सरकारों के स्वीकार करने से कहीं तेज़ी से फैल रहे हैं।
- सुविचारित योजना के लिए बीमारी की पूर्ण और सावधान रिपोर्टिंग आवश्यक है, भले ही शुरुआती आँकड़े चिंताजनक दिखें।
- स्वास्थ्य योजना में अच्छी तरह चलने वाले ज़िलों को पूरे देश के लिए आदर्श मानना चाहिए।
- निजता संबंधी चिंताओं के कारण रोग की रिपोर्टिंग असंभव है।

Q2. लेखक की यह चेतावनी कि लोग “गिनती में आने से ही बचेंगे” किस मान्यता पर आधारित है कि

- डॉक्टर जानबूझकर मामलों को अधिकारियों से छिपाते हैं।
- प्रयोगशालाओं को रिपोर्ट करने का प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता।
- लोगों की रिकॉर्ड में आने की इच्छा इस भरोसे पर निर्भर है कि उनके आँकड़े सुरक्षित रहेंगे।
- निजता कानून स्वास्थ्य आँकड़ों के संग्रह को वर्जित करते हैं।

Q3. निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष गद्यांश से सबसे तर्कसंगत रूप से निकाला जा सकता है?

- रिपोर्टिंग शुरू होने के शीघ्र बाद दर्ज मामलों में वृद्धि अपने-आप में यह सिद्ध नहीं करती कि रोग बढ़ रहा है।
- रिपोर्टिंग पूर्ण होते ही दर्ज मामले घट जाएँगे।
- कुछ ज़िलों के अनुमान हमेशा गलत होते हैं।

(d) समान परिभाषाएँ केवल दुर्लभ रोगों के लिए मायने रखती हैं।

तर्कशक्ति और गणित

Q4. एक शहरी कामगार आवागमन पर प्रति माह ₹1,044 और एक ग्रामीण कामगार ₹612 खर्च करता है। शहरी कामगार वर्ष में कितना अधिक खर्च करता है?

- (a) ₹4,184
- (b) ₹5,184
- (c) ₹5,284
- (d) ₹6,184

Q5. पाँच शावक A, B, C, D और E एक के बाद एक जन्मे। B का जन्म A के बाद पर C से पहले हुआ। D का जन्म सबसे अंत में हुआ। E का जन्म A के ठीक बाद हुआ। तीसरा शावक कौन-सा जन्मा?

- (a) E
- (b) C
- (c) B
- (d) A

उत्तर-कुंजी और व्याख्या

Q1: (b) गद्यांश बेहतर गिनती का पक्ष लेता है और शुरुआती वृद्धि को गलत पढ़ने से सावधान करता है। विकल्प 0 वही जल्दबाज़ी वाला पाठ है जिसे वह नकारता है; विकल्प 2 को खराब नक्शा कहकर आलोचना की गई है।

Q2: (c) चेतावनी पहचान उजागर होने के भय को गिनती से बचने से जोड़ती है, अतः मानती है कि भरोसा ही भागीदारी तय करता है। विकल्प 0, 1 और 3 गद्यांश में नहीं कहे गए।

Q3: (a) गद्यांश कहता है कि ऊपर चढ़ती रेखा केवल यह दिखा सकती है कि व्यवस्था काम कर रही है। विकल्प 2 अतिशयोक्ति है: अनुमान शेष देश का हाल “खराब” बताते हैं, हमेशा गलत नहीं।

Q4: (b) मासिक अंतर = $1,044 - 612 = ₹432$; वार्षिक = $432 \times 12 = ₹5,184$ ।

Q5: (c) D पाँचवाँ है। E, A के ठीक बाद आता है और B भी A के बाद है, अतः B, E के बाद आता है; C, B के बाद। एकमात्र क्रम A, E, B, C, D है, इसलिए B तीसरा है।

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 • निबंध • खंड B • 6 मिनट पठन (min read)

कोई समाज किस चीज़ की प्रतीक्षा करने को तैयार है, इसी से पता चलता है कि वह वास्तव में किसे मूल्यवान मानता है।

विषय (Themes): शासन, विज्ञान और भरोसे में समय-क्षितिज • बनने में देर, बिगड़ने में पल • मूल्य की विषमता • प्रतीक्षा किससे करवाई जाती है, और किसके लाभ के लिए

शुरुआत में ही एक स्वीकारोक्ति। इस परीक्षा की तैयारी करने वाले अधिकतर लोगों की तरह मैं भी अधीर हूँ: मुझे ऐसा परिणाम चाहिए जो दिखे, अंक, रैंक, ऐसा उत्तर जो साफ़-साफ़ सही हो। सार्वजनिक जीवन भी अक्सर इसी घड़ी पर चलता है। बजट एक वर्ष का होता है, चुनाव पाँच वर्ष में आता है और ख़बर एक दिन में बासी हो जाती है। परंतु जिन चीज़ों पर मेरा जीवन सबसे अधिक टिका है, किसी शिक्षक का धैर्य, किसी संस्था की साख, वह जंगल जिसके कारण नदी बहती रहती है, वे इन सब घड़ियों से कहीं लंबे समय में बनी हैं। यही अंतर इस निबंध का विषय है। मेरा तर्क है कि कोई समाज अपने मूल्य अपने भाषणों से कम और इस बात से अधिक प्रकट करता है कि वह किस चीज़ के लिए रुकने को राज़ी है; और सार्वजनिक विवेक की सबसे कठिन परीक्षा है समझदार प्रतीक्षा और सुविधाजनक टालमटोल में भेद करना।

ज्ञान से आरंभ करें, जहाँ प्रतीक्षा का पक्ष सबसे स्पष्ट है। गणितज्ञ जी. एच. हार्डी ने 1940 में A Mathematician's Apology में इस बात पर लगभग गर्व किया था कि संख्या-सिद्धांत का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। चालीस वर्ष के भीतर अभाज्य संख्याओं के गुण पब्लिक-की क्रिप्टोग्राफी का आधार बन गए, और आज हर ऑनलाइन भुगतान की सुरक्षा उन्हीं पर टिकी है। आइंस्टाइन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत (1915) ब्रह्मांड पर कोरी अटकल लगता था; आज उपग्रह-नेविगेशन इसीलिए सटीक है कि इंजीनियर उपग्रहों की घड़ियों में उसी सिद्धांत द्वारा बताए गए प्रभावों का सुधार करते हैं। अब्राहम फ़्लेक्सनर ने 1939 के अपने निबंध "The Usefulness of Useless Knowledge" में इसी तर्क को नाम दिया। भारत ने यह सबक अपने ढंग से सीखा। नवंबर 1963 में जब थुंबा से पहला साउंडिंग रॉकेट उड़ा, तब उसके पुर्जे, कहा जाता है, साइकिल पर प्रक्षेपण-स्थल तक ले जाए गए थे, और विक्रम साराभाई इस कार्यक्रम को प्रतिष्ठा का नहीं, एक ग़रीब देश की वास्तविक समस्याओं के समाधान का साधन बता रहे थे। चंद्रयान-3 साठ वर्ष बाद चंद्रमा पर उतरा। जो समाज केवल उसी में पैसा लगाए जो एक बजट-चक्र में लौट आए, वह वहाँ कभी नहीं पहुँचेगा।

भरोसा भी इसी नियम पर चलता है, पर एक निर्मम अंतर के साथ: वह बनता धीरे है और टूटता पल में है। रॉबर्ट पुटनम ने Making Democracy Work (1993) में इटली की क्षेत्रीय सरकारों का अध्ययन कर पाया कि जिन क्षेत्रों में नागरिक संगठनों की लंबी परंपरा थी, वहाँ शासन कहीं बेहतर था, और उन परंपराओं की जड़ें उन्होंने सदियों पीछे तक खोजीं। भारत का संघीय समझौता इसी कहानी का छोटा रूप है। 1951 में पहले वित्त आयोग से लेकर आज तक संघ और राज्य हर रुपये पर बहस करते रहे हैं, फिर भी बार-बार मेज़ पर लौटते हैं, क्योंकि हर पंचाट पिछले पंचाट की साख पर खड़ा होता है। अब देखिए भरोसा कितनी जल्दी उड़ता है। सितंबर 2008 में लेहमन ब्रदर्स के डूबते ही दशकों से एक-दूसरे को उधार देने वाले बैंकों ने कुछ ही दिनों में हाथ खींच लिए। ईमानदार लेन-देन की आदत बनने में एक पीढ़ी लगती है और टूटने में एक तोड़ा गया वादा। जो सरकार किसी त्वरित लाभ के लिए अपनी साख ख़र्च करती है, वह ऐसी पूँजी उड़ा रही है जिसे उसने बनाया नहीं और जिसे वह जल्दी लौटा भी नहीं सकती।

प्रकृति और संस्कृति के मामले में यह विषमता पूर्ण हो जाती है, क्योंकि कुछ क्षतियाँ कभी भरी ही नहीं जा सकतीं। 1960 के दशक में सोवियत योजनाकारों ने कपास उगाने के लिए अरल सागर को पानी देने वाली नदियों का रुख मोड़ दिया। कुछ समय तक फ़सल बढ़ी पर संसार की सबसे बड़ी झीलों में गिना जाने वाला वह सागर अधिकांशतः सूख गया। 1850 के दशक में औपनिवेशिक बसावट शुरू होने के समय ग्रेट अंडमानी हज़ारों में थे; एक सदी के भीतर वे कुछ दर्जन रह गए। नेहरू ने वेरियर एल्विन की पुस्तक A Philosophy for NEFA की भूमिका में वह दृष्टि रखी जिसे जनजातीय पंचशील कहा गया: जनजातीय समाज अपनी प्रतिभा के अनुरूप विकसित हों और बाहर वाले उन पर कुछ न थोपें। सच कहें तो यह प्रतीक्षा का ही आग्रह था, कि सड़क और परियोजना से पहले सहमति और समझ आए। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही सहज बुद्धि दिखाई, जब उसने नियमगिरि की पवित्र पहाड़ियों में बाँकसाइट खनन का निर्णय वहाँ की ग्राम सभाओं पर छोड़ा। हर ग्राम सभा ने इनकार किया। हज़ार वर्ष पुराना जंगल या दस हज़ार वर्ष से बोली जा रही भाषा उस परियोजना से दोबारा नहीं बन सकती जो उसे मिटा देती है।

साहित्य यह बात सदा से जानता है। तॉल्स्टॉय के युद्ध और शांति में कुतुज़ोव अपने ही अफ़सरों को खिझाता है, क्योंकि वह लड़ाई टालता रहता है; उसका विश्वास धैर्य और समय पर है, और बर्बाद होता है नेपोलियन, जो सदा जल्दी में है। सिसेरो ने वृद्धावस्था पर अपने संवाद में कवि कैसिलियस स्टेटियस की वह पंक्ति उद्धृत की है जिसमें किसान अगली पीढ़ी के लिए पेड़ लगाता है: “serit arbores, quae alteri saeclo prosint”। वह किसान उनकी छाँव में नहीं बैठेगा, फिर भी पौधे रोपता है। किसी चीज़ को मूल्यवान मानने का इससे स्पष्ट चित्र मैं नहीं जानता। हमारी अपनी परंपरा में भी पीपल और बरगद लगाने को पुण्य इसीलिए माना गया कि उसका फल लगाने वाले को नहीं, आने वालों को मिलता है।

फिर भी विरोधी तर्क को पूरा वज़न मिलना चाहिए, क्योंकि प्रतीक्षा बहुधा अन्याय का शिष्ट नाम होती है। 1963 के अपने Letter from Birmingham Jail में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने धैर्य की सलाह देने वाले श्वेत पादरियों को उत्तर दिया: “This ‘Wait’ has almost always meant ‘Never.’” यानी यह “रुको” लगभग हमेशा “कभी नहीं” ही रहा है। जो बच्चा आज भूखा है, उसका पेट 2050 में पकने वाले शोध-कार्यक्रम से नहीं भरेगा। किन्स ने अर्थशास्त्रियों को दीर्घकालीन संतुलन की ओट लेने से चेताया था: “In the long run we are all dead.” भारत में भी “धीरे-धीरे” और “आगे चलकर” जैसे शब्द भूमिहीनों, विस्थापितों और विचाराधीन क़ैदियों को बहुत बार थमाए गए हैं। धैर्य को गुण तभी कहा जा सकता है जब प्रतीक्षा शक्तिशाली करें, निर्बल नहीं।

दोनों पक्षों का मेल तब होता है जब हम पूछते हैं कि प्रतीक्षा कौन कर रहा है और दाँव पर क्या है। राज्य को नागरिक की गरिमा के प्रति अधीर होना चाहिए: भोजन, शिक्षा, न्याय और कोठरी में बंद व्यक्ति को मिलने वाली सुनवाई के प्रति। और उसे उन चीज़ों के प्रति धैर्यवान होना चाहिए जो धीरे-धीरे बढ़ती हैं और लौटाई नहीं जा सकती: मौलिक शोध, संस्थागत भरोसा, पारिस्थितिकी और जीवन-पद्धतियाँ। शासन की अधिकतर विफलताएँ इसी क्रम को उलट देती हैं। ग़रीब से उसके हक़ के लिए रुकने को कहा जाता है, जबकि जंगल, बजट और साख जल्दबाज़ी में खर्च कर दिए जाते हैं। अच्छे समाज को दूसरी चीज़ यह चाहिए कि ऐसी संस्थाएँ हों जो लंबी प्रतीक्षा को क्षणिक आवेग से बचाएँ: स्थिर शोध-अनुदान, निश्चित कार्यकाल वाला वित्त आयोग, और ऐसा न्यायालय जो परियोजना शुरू होने से पहले प्रभावित लोगों को सुनने पर अड़े। ऐसी संस्थाएँ समाज का अपने ही हाथ बाँधने का तरीका हैं।

हर पीढ़ी सिसेरो की उस पंक्ति वाले किसान की स्थिति में है, जो वह रोपती है जिसका फल वह स्वयं नहीं खाएगी। प्रश्न यह नहीं कि हम धैर्यवान लोग हैं या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या हमने अपना धैर्य सही जगह रखा है: वर्तमान के कष्ट मिटाने में जल्दी, और उस ज्ञान, भरोसे और जीवित विरासत के लिए रुकने की तैयारी जो अभी अजन्मे लोगों की है। हम किसकी प्रतीक्षा चुनते हैं, और किसे दूसरों से प्रतीक्षा करवाने से इनकार करते हैं, यही हमारे मूल्यों का सबसे सच्चा बयान है।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards):